वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972

अनुक्रमणिका

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1- संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

2- परिभाषायें

अध्याय-2

अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकारियों की नियुक्ति या गठन किया जाना

3. संचालक एवं अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति

4. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं अन्य अधिकारियों की नियुक्ति

5- शक्ति का प्रत्यायोजन

5 क- वन्यजीव के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन

5 ख- राष्ट्रीय बोर्ड की स्थायी समिति

5 ग. राष्ट्रीय बोर्ड के कृत्य

6- राज्य में वन प्राणी बोर्ड का गठन करना

7- मण्डल द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया

8- राज्य वन्यजीव बोर्ड के कर्तव्य

अध्याय-3

वन पशुओं की आखेट (शिकार)

9. शिकार पर प्रतिबंध

10. (निरसित)

11. कतिपय मामलों में वन पशुओं के आखेट (शिकार) की अनुज्ञा दी जाना

12. विशेष प्रयोजन के लिये अनुज्ञा का प्रदाय

13 से 17. (निरसित)

अध्याय-3 क

विनिर्दिष्ट पौधों का संरक्षण

17 क. विनिर्दिष्ट पौधों को तोड़ने, जड़ से उखाड़ने आदि का प्रतिषेध

17 ख. विशेष कार्यों के लिये अनुज्ञा का प्रदाय

17 ग. बिना अनुज्ञा प्राप्त किये विनिर्दिष्ट पौधों की खेती करना प्रतिषिद्ध

17 घ. बिना अनुज्ञा विनिर्दिष्ट पौधों का व्यापार करने का प्रतिषेध

17 ड़. स्टाक की घोषणा

17 च. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पौधों को कब्जे में रखना

17 छ. विनिर्दिष्ट पादपों का क्रय आदि

17 ज. पादपों का सरकारी सम्पत्ति होना

अध्याय-4

संरक्षित क्षेत्र

18. अभ्यारण की घोषणा

18 क. अभ्यारण्यों की सुरक्षा

18 ख. कलेक्टर की नियुक्ति

19. अधिकारों का विनिश्चयन कलेक्टर करेगा

20. अधिकार के अर्जन पर रोक

21. कलेक्टर द्वारा उद्घोषणा

22. कलेक्टर द्वारा जाँच
23. कलेक्टर की शक्ति
24. अधिकार का अर्जन
25. अर्जन की कार्यवाही
25क. अर्जन कार्यवाहियों के पूरा होने के लिए समय सीमा
26. कलेक्टर क शक्ति का प्रत्योजन
26क. किसी क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित करना
27. अभ्यारण्य में प्रवेश के लिये प्रतिबन्ध
28. अनुज्ञा प्रदान करना
29. अभ्यारण्य में बिना अनुज्ञापत्र विनाश आदि कना प्रतिषिद्ध
30. आग लगाना प्रतिषिद्ध
31. हथियार के साथ अभ्यारण में प्रवेश का प्रतिषेध
32. घातक पदार्थ के उपयाग पर रोक
33. अभ्यारण्य का नियंत्रण
33क. पशुधन का रोग मुक्त करना
33ख. सलाहकार समिति
34. शस्त्र रखने वाले व्यक्तियों का रजिस्टीकरण
34क. अतिक्रमण को हटाने की शक्ति

राष्ट्रीय उद्यान

35. राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा
36. (निरसित)
36क. संरक्षण आरक्षिति प्रबंध समिति
36ख. सामुदायिक आरक्षिति प्रबंध समिति
36ग. सामुदायिक आरक्षिति की घोषणा और प्रबंधन
36घ. सामुदायिक आरक्षिति प्रबंध समिति

बन्द क्षेत्र

37. (निरसित)
38. क्षेत्रों के अभ्यारण, राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की केन्द्र शासन की शक्ति

अध्याय-4

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण तथा चिड़ियाघरों की अधिमान्यता

38क. केन्द्रीय चिड़िया घर प्राधिकरण का गठन
38ख. अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्य काल एवं सेवा शर्तें आदि
38ग. प्राधिकरण के कृत्त
38घ. प्रक्रिया का प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाना
38ड. प्राधिकरण को अनुदान एवं ऋण और निधि का गठन
38च. वार्षिक रिपार्ट (प्रतिवेदन)
38छ. वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा प्रतिवेदन का संसद में प्रस्तुत किया जाना
38ज. पशुवाटिका को मान्यता
38झ. पशुवाटिका द्वारा वन प्राणी प्राप्त करना
38ञ. पशुवाटिका में वन प्राणी को परेशान आदि करना निषिद्ध

अध्याय 4 - ख

राष्ट्रीय बाघ (Tiger) संरक्षण प्राधिकरण

38ट. परिभाषायें
38ठ. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन
38ड़. सदस्यों का कार्यकाल एवं सेवा शर्तें

38ढ़. व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अधिकारी एवं कर्मचारी
38ण. व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अधिकार एवं कर्त्तव्य
38त. व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रक्रिया का नियमन
38थ. व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को अनुदान, कर्ज तथा निधि का विधान
38द. व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के लेखे तथा लेखों का परीक्षण (audit)
38ध. व्याघ्र संरक्षण प्राधिकारी की वार्षिक रिपोर्ट
38न. वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन का संसद में प्रस्तुत होना
38प. संचालक समिति का गठन
38फ. व्याघ्र संरक्षण योजना
38ब. व्याघ्र आरक्षण क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन या उनको समाप्त करना
38भ. व्याघ्र संरक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना

अध्याय 4-ग

व्याघ्र एवं अन्य सकन्टापन्न प्रजातियों के प्रति अपराध पर नियंत्रण

38म. व्याघ्र एवं अन्य संकटापन्न प्रजातियों के अलिए अपराध नियंत्रण ब्यूरों स्थातपित करना
38य. वन प्राणी अपराध नियंत्रण ब्यूरों के अधिकार तथा कर्त्तव्य

अध्याय 5

वन प्राणियों, प्राणियों की वस्तुओं और ट्राफी का व्यापार या वाणिज्य

39. वन प्राणी आदि का सरकार सम्पत्ति होना
40. घोषणा
40क. कतिपय दशाओं में उन्मुक्ति
41. सूची की जाँच और तैयार करना
42. स्वामित्व का प्रमाण-पत्र
43. प्राणी आकद के अन्तरण का विनियमन
44. अनुज्ञप्ति के बिना ट्राफी और पशु वस्तु का व्यापार बिना अनुज्ञप्ति के प्रतिबन्धित
45. अनुज्ञप्तियों (लायसेन्सों) का निलम्बन एवं रद्दकरण
46. अपील
47. अभिलेखों (रिकार्ड) का रखा जाना
48. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राणी आदि का क्रय
48क. वन्यजीवों के परिवहन पर प्रतिबंध
49. अनुज्ञप्तिधारियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा बन्दी पशु आदि की खरीदी

अध्याय-5 क

कुछ प्राणियों से व्युत्पन्न ट्राफी, पशुवस्तु आदि के व्यापार या वाणिज्य का प्रतिषेध

49क. परिभाषाएं
49ख. अनुसूचित प्राणियों से व्युत्पन्न टॉफियों, प्राणी वस्तुओं आदि में त्यौहार पर प्रतिषेध
49ग. व्यवसायी द्वारा घोषणा

अध्याय-6

अपराधों की रोक एवं खोज

50. प्रवेश, तलाशी, हिरासत तथा राक रखने की शक्ति
51. शास्तियां
51क. जमानत देने में कुछ शर्तें लागू
52. प्रयत्न और दुष्प्रेरण
53. सदोष अभिग्रहण के लिये दण्ड
54. अपराधों का श्मन करने की शक्ति
55. अपराधों का संज्ञान

56. अन्य विधियों का प्रवर्तनका वर्जित न होना
57. कतिपय मामलों में उपधारणा की जाना
58. कम्पनी द्वारा अपराध

अध्याय-6 क

अवैध आखेटन और व्यापार से व्युत्पन्न सम्पत्ति का समपहरण

58क. लागू होना
58ख. परिभाषाएं
58ग. अवैध रुप से अर्जित सम्पत्ति के धारण का प्रतिषेध
58घ. सक्षम प्राधिकारी
58ड. अवैध रुप से अर्जित सम्पत्ति की पहचान
58च. अवैध रुप से अर्जित सम्पत्ति का अभिग्रहण या उस पर रोक लगाना
58छ. इस अध्याय के धीन अभिगृहित या समपह्रद सम्पत्तियों का प्रबंध
58ज. सम्पत्ति के समपहरण पर सूचना
58झ. कतिपय दशाओं में सम्पत्ति का समपहरण
58ञ. सबूत का भार
58ट. समपहरण के बदले जुर्माना
58ठ. कतिपय न्यास सम्पत्त्यिों के संबंध में प्रक्रिया
58भ. सम्पत्ति का स्थानान्तरण, शून्य होना
58ढ. अपील प्राधिकरण का गठन
58ण. अपीलें
58त. सूचना या आदेश का वर्णन में त्रुटि के कारण अविधिमान्य न होना
58थ. अधिकारिताका वर्जन
58द. सक्षम प्राधिकारी और अपील अधिकरण के पास सिविल न्यायालय की शक्तियों का होना
58ध. सक्षम प्राधिकारी को सूचना
58न. कतिपय अधिकारियों का प्रशासक, सक्षम प्राधिकारी और अपील अधिकरणकी सहायता करना
58प. कब्जा लेने की शक्ति
58फ. त्रुटियों की परिशुद्धि
58ब. अन्य विधियों के निर्णय इस अध्याय की कार्यवाही में निर्णयक नहीं होंगे
58भ. सूचना और आदेशों की तामील
58म. ऐसी सम्पत्ति के अर्जन के लिए दण्ड जिसकेसंबंध में इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियां की गई

अध्याय-7

विविध

59. अधिकारियों का लोक-सेवक होंगे
60. सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण
60क. व्यक्तियों को पुरुस्कार
60ख. राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार
61. अनुसूची की प्रविष्टि में परिवर्तन करने की शक्ति
62. कतिपय पशुओं को हानिकारक पशु होने की घोषणा
63. केन्द्र शासन की नियम बनाने की शक्ति
64. राज्य शासन की नियम बनाने की शक्ति
65. जनजाति के अधिकारों का संरक्षण किया जाना
66. निरसन और व्यावृत्तियां

वन्य जीव (संरक्षण)
अधिनियम
1972

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972

(1972 का अधिनियम संख्यांक 53)

देश की परिस्थितिकीय और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से, वन्यप्राणियों, पक्षियों और पादपों के संरक्षण के लिए तथा उनसे संबंधित या प्रासंगिक या अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अभिपियमित हो -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ - - (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम,1972 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में, जिस पर इसका विस्तार है, ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत कर तथा इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिये और विभिन्न राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. परिभाषाएं - - इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

*(1) "प्राणी" के अन्तर्गत स्तनी, पक्षी, सरीसृप, जलस्थल चर, मत्स्य, अन्य रज्जुमान तथा अकशेरुकी और उनके बच्चे तथा अंडे है;

(2) **"प्राणी-वस्तु"** से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो पीड़क जन्तु से भिन्न किसी बंदी या वन्यप्राणी से बनी है और इसके अन्तर्गत ऐसी कोई वस्तु या पदार्थ है, जिससे ऐसे पूरे प्राणी या उसके किसी भाग का उपयोग किया गया है, और भारत में आयोजित हाथी दांत तथा उससे अनी वस्तुएं;

(3) **[विलोपित]**

(4) **"बोर्ड"** से धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य वन्यजीव बोर्ड अभिप्रेत है;

(5) **"बंदी प्राणी"** से अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 या अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट ऐसा कोई प्राणी अभिप्रेत है जो पकड़ा गया या बंदी हालत में रखा गया है अथवा बंदी हालत में प्रजनित हुआ है;

(6) [विलोपित]

(7) **"मुख्य वन् जीव संरक्षक"** से धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उस रुप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(7क) **"सर्कस"** से ऐसा स्थापन अभिप्रेत है, चाहे वह स्थायी हो या चल, जहां पूर्णतया या मुख्यतया करतब या कलाबाजियां दिखाने के प्रयोजन के लिए प्राणी रखे या प्रयोग किए जाते हैं;

(8) **[विलोपित]**

(9) **"कलेक्टर"** से किसी जिले के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारसाधक अधिकारी या उप कलेक्टर की पंक्ति से अनिम्न का ऐसी कोई अन्य अधिकारी, जो इन निमित्त धारा 18ख के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जए, अभिप्रेत है;

(10) **"इस अधिनियम के प्रारंभ" से :-**

(क) किसी राज्य के संबंध में, उस राज्य में इस अधिनियम का प्रारंभ अभिप्रेत है;

(ख) इस अधिनियम के किसी उपबंध के संबंध में संबद्ध राज्य में उस उपबंध का प्रारंभ अभिप्रेत है;

(11) **"व्यौहारी"** से किसी बंदी प्राणी, प्राणी-वस्तु, ट्राफी, मांस या विनिर्दिष्ट का कारबार करता है और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो इनमें से किसी एकल संव्यवहार में सम्मिलित है;

(12) **"निदेशक"** धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन वन्य जीव परिरक्षण निदेशक क रुप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(12क) **"वन अधिकारी"** से भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 2 के खण्ड (2) के आधीन या किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन नियुकत किया गया वन अधिकारी के अधीन नियुक्त किया गया वन अधिकारी अभिप्रेत है;

(12ख) ''वन उत्पादन'' पद का वही अर्थ है जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 3 के खण्ड (4) के उपखण्ड (ख) में है;

(13) **[विलोपित]**

(14) **"सरकारी संपत्ति"** से धारा 399 या धारा 17ज में निर्दिष्ट कोई संपत्ति अभिप्रेत है;

(15) **"आवास"** के अन्तर्गत ऐसी भूमि, जल और नवस्पति है जो किसी वनयप्राणी का प्राकृतिक गृह है;

(16) व्याकरणिक रुप भेदों और सजातीय पदों सहित ''आखेटन'' के अन्तर्गत है:-

(क) किसी वन्यप्राणी या बंदी प्राणी को मारना या उसे विष देना और ऐसा करने का प्रत्येक प्रयत्न;

(ख) किसी वन्यप्राणी या बंदी प्राणी को पकड़ना, कुत्तों द्वारा आखेट करना, फंदे में पकड़ना, जाल में फासना, हांका लगाना या चारा डालकर फंसाना तथा ऐसा करने का प्रयत्न;

(ग) किसी ऐसे वन्यप्राणी के शरीर के किसी भाग को खतिग्रस्त करना; या नष्ट करना या लेना अथवा वन्य पक्षियों या सरीयृपों के अंडों या घोंसलों को गड़बड़ाना;

(17) **"भूमि"** के अन्तर्गत है नहरें, संकरी खाडियां और अनय जल सरणियां, जलाशय, नदियां, सरिताएं और झीले, चाहे वे कृत्रिम हों या प्राकृतिक, दलदल और आर्द्र भूमि तथा इसके अन्तर्गत वोल्डर और चट्टानें भी हैं;

(18) **"अनुज्ञप्ति"** से इस अधिनियम के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है;'

(18क) **"पशुधन"** से कृषि में काम आने वाले पशु अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत भैंस, सांड, बैल, ऊंट, गाय, गधा, बकरा, भेड़, धोड़ा, खच्चर, याक, सुअर, बत्तख, हंस, पालतु मुर्गियां और उनके बच्चे आते हैं लेकिन इसमें अनुसूची 1 से अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट कोई प्राणी नहीं है;

(19) **"विनिर्माता"** से वह व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो अनुसूची 1 से अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में विनिर्दिश्ट यथास्थिति, किसी प्राणी या पादप से, वस्तुएं विनिर्मित करता है;

(20) **"मांस"** के अन्तर्गत है, पीड़क जन्तु से भिन्न, किसी वन्यप्राणी या बंदी प्राणी का रक्त, उसकी हड्डीयां, स्नायु, अंडे, कवच या पृश्ठ वर्म, चर्बी और गोश्त, खाल के साथ या उसके बिना, चाहे वे कच्चे हों या पकाए हुए हों;

(20क) **"राष्ट्रीय बोर्ड"** से धारा 5क के अधीन गठित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड अभिप्रेत हैं;

(21) **"राष्ट्रीय उपवन"** से ऐसा क्षेत्रा अभिप्रेत है जो धारा 35 या धारा 38 के अधीन राष्ट्रीय उपवन के रुप में घोषित किया गया है और जो धारा 66 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय उपवन धोषित किया गया समझा जाता है;

(22) **"अधिसूचना"** से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(23) **"अनुज्ञापत्र"** से इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दिया गया अनुज्ञापत्र अभिप्रेत है;

(24) **"व्यक्ति"** के अन्तर्गत फर्म है;

(25) **"विहित"** से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(25क) **"मान्यता प्राप्त चिडियाघर"** से धारा 38ज के अधीन मान्यता प्रापत चिडियाघर अभिप्रेत हैं;

(25ख) **"आरक्षित वन"** से राज्य सरकार द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 20 के अधीन आरक्षित करने के लिए घोषित वन अभिप्रेत है;

(26) **"अभ्यारण्य"** से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों के अधीन अीयारण्य के रुप में अधिसूचित किया गया है ओर इसके अन्तर्गत धारा 66 की उपधारा (4) के अधीन अभ्यारण्य समण गया क्षेत्र भी है;

(27) **"निविद्रिष्ट पादप"** से अनुसूची 6 में विनिर्दिष्ट कोई पादप अभिप्रेत है;

(28) **[विलोपित]**

(29) संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में "राज्य सरकार" से उस संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन अभिप्रेत है जो राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त किया गया है;

(30) व्याकरणिक रुपभेदों और सजातीय पदों सहित "चर्म प्रशसन" से ट्राफियों का संसाधन उनको तैयार करना या उनका परिरक्षण या आरोपण अभिप्रेत है;

(30क) **"राजयक्षेत्रीय सागर खण्ड"** का वही अर्थ है जो राज्यक्षेत्रीय सागर खण्ड, महाद्विपीय मग्रतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्रा अधिनियम, 1976 (1976 का 80) की धारा 3 में है;

(31) **'ट्राफी"** से पीड़कजन्तु से भिन्न कोई पूरा बंदी प्राणी या वन्यप्राणी या उसका कोई भाग अभिप्रेत है जिसे किन्हीं साधनों द्वारा चाहे वे कृत्रिम हों या प्राकृतिक, रखा या परिरक्षित किया गया है, और इसके अन्तर्गत है -

(क) ऐसे प्राणी के चर्म, त्वचा और नमूने जो चर्म प्रसाधन की प्रक्रिया द्वारा पूर्णतः या भागतः मढ़े गए हैं, और

(ख) हिरण का सींग, हड्डी, पृष्ठ वर्म, कवच, सींग , गैंडे का सींग, बाल, पंख, नाखून, दांत, हाथी दांत, कस्तूरी, अंडे, घेंसले और मधुमक्खी छत्त;

(32) **"अंससाधित ट्राफी"** से पीड़त जन्तु से भिन्न कोई पूरा बंदी प्राणी या वन्यप्राणी या उसका कोई भाग अभिप्रेत है जिस पर चर्म प्रसाधन की प्रक्रिया नहीं हुई है और उसके अन्तर्गत ताजा मारा गया वन्यप्राणी, कच्चा अंबर, कस्तूरी और अन्य प्राणी उत्पाद है;

(33) **"यान"** से भूमि, जल या वायु में संचलन के लिए प्रयुक्त सवारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत भैंस, सांड, बैल, ऊंट, गधा, घोड़ा और खच्चर हैं;

(34) **"पीड़कजन्तु"** में अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट कोई वन्यप्राणी अभिप्रेत हैं;

(35) **'आयुध"** के अन्तर्गत गोला बारुद, धनुष और बांण, विस्फोटक, अग्यायुध, कांटे, चाकू, जाल, विष, फंदे तथा कोई ऐसा उपकरण या साधित्रा है जिससे किसी प्राणी को संवेदनाहत किया जा सकता है, धोखे से पकड़ा जा सकता है, नष्ट किया जा सका है, क्षतिग्रस्त किया जा सकता है, या मारा जा सकता है;

(36) **"वन्यप्राणी"** से ऐसी प्राणी अभिप्रेत है जो अनुसूची 1 से अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट है और प्रकृति से ही वन्य है;

(37) **"वन्यजीव"** के अन्तर्गत जलीय या भूवनस्पतिक ऐसा कोई प्राणी है जो किसी प्राकृतिक वास का एक भाग है;

(38) **"वन्य जीव संरक्षक"** से धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड के अधीन उस रुप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(39) **"चिड़ियाघर"** से ऐसा स्थापन अभिप्रेत है, चाहे वह स्थायी हो या चल, जहां बंटी प्राणी सर्वसाधारण के प्रदर्शन के लिए रखे जाते हैं और इसके अन्तर्गत सर्कस और बचाव केन्द्र भी है किन्तु इसके अन्तर्गत कोई स्थापन नहीं है।

अध्याय-2

इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या गठित किए जाने वाले प्राधिकारी

3. **निदेशक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति --** (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए:-

(क) एक वन्यजीव परिरक्षण निदेशक;

(ख) [विलोपित]

(ग) ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी आवश्यक हों;

(2) निदेशक इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपने कत्र्तव्यों का पालन करने में और अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में ऐसे साधारण या विशेष निर्देशों के अधीन होगा, जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर दें।

(3) इस धारा के अधीन नियुक्त किए गए अधिकारी और अन्य कर्मचारी निदेशक की सहायता करने के लिए अपेक्षित होंगे।

4. मुख्य वन्य जीव संरक्षक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति -- (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए --

(क) एक मुख्य वन्यजीव संरक्षक;

(ख) वन्यजीव संरक्षक;

(ख) अवैतनिक वन्यजीव संरक्षक;

(ग) ऐसे अधिकारी और कर्मचारी, जो आवश्यक हों, नियुक्त कर सकेगी।

(2) मुख्य वन्यजीव संरक्षक, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन कत्र्तव्यों का पालन करने में और अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में ऐसे साधारण या विशेष या निर्देशों के अधीन होगा, जो राज्य सरकार समय-समय पर दें।

(3) इस धारा केअधीन नियुक्त वन्यजीव संरक्षक, अवैतनिक वन्यजीव संरक्षक और अन्य अधिकारी और कर्मचारी मुख्य वन जीव संरक्षक के अधीनस्थ होंगे।

5. प्रत्यायोजन करने की शक्ति -- (1) निदेशक, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, लिखित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अपनी समस्त या कुछ शक्तियों को अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को, ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, आधीन रहते हुए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(2) मुख्य वन्यजीव संरक्षक, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से लिखित आदेश द्वारा धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों और कत्र्तव्य को अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को, ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(3) निदेशक या मुख्य वन्यजीव संरक्षक द्वारा दिए गए किसी साधारण या विशेष निर्देश के या उसके द्वारा अधिरोपित किस किश्सी शर्त के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति, जो किन्ही शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निदेशक या मुख्य वन्यजीव संरक्षक द्वारा प्राधिकृत है, उन शक्तियों का प्रयोग उसी रीति से और वैसे ही प्रभाव के साथ करेगा मानो वे उस व्यक्ति की प्रत्ययोजन द्वारा नहीं अपितु इस अधिनियम द्वारा सीधे प्रदत्त की गई हों।

5क. वन्य जीव के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन-- (1) केन्द्रीय सरकार, वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2002 के प्रारंभ से तीन मास के भीतर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन करेगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-

(क) अध्यक्ष के रुप में प्रधानमंत्री;

(ख) उपाध्याय के रुप में वन और वन्यजीव का भारसाधक मंत्री;

(ग) संसद के तीन सदस्य, जिनमें से दो लोक सभा से तथा एक राज्य सभा से होगा;

(घ) सदस्य, योजना आयोग में वन और वन्यजीव का भारसाधक;

(ड) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले गौर-सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच व्यक्ति;

(च) केन्द्रीय सरकार द्वारा सुविख्यात संरक्षण विज्ञानी, पारिस्थितिकी विज्ञानी तथा पर्यावरण विज्ञानियों में से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दस व्यक्ति;

(छ) वन और वन्यजीव से संबंधित भारत सरकार में केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का भारसाधक सचिव;

(ज) थल सेना अध्यक्ष;

(झ) भारत सकरार के रक्षा मंत्रालय का भारसाधक सचिव;

(ञ) भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय का भारसाधक सचिव;

(ट) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग का भारसाधक सचिव;

(ठ) भारत सरकार के जनजाति कल्याण मंत्रालय का सचिव;

(ड) वन और वन्यजीव से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय का विभाग का वन महानिदेशक;

(ढ) पर्यटन महानिदेशक, भारत सरकार;

(ण) महानिदेशक, भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद , देहरादून;

(त) निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून;

(थ) निदेशक, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण;

(द) निदेशक, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण;

(ध) निदेशक, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान;

(न) सदस्य-सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण;

(प) निदेशक, राष्ट्रीय महासागर विज्ञान संस्थान;

(फ) इस राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों से प्रत्येक में से चक्रानुक्रम के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाले एक-एक प्रतिनिधि;

(ब) निदेशक, वन्यजीव परिरक्षण जो राष्ट्रीय बोर्ड का सदस्य-सचिव होगा।

(2) उन सदस्यों से, भिन्न सदस्यों की पदावधि, जो पदेन सदस्या हैं, उपधारा (1) कते खण्ड (ग), खण्ड (ड), खण्ड (च) और खण्ड (फ) में निर्दिष्ट रिक्तियों को भरने की रीति और राष्ट्रीय बोर्ड सदस्यों द्वारा उनके कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया होगी जो विहित की जाए।

(3) सदस्य (पदेन सदस्यों के सिवाय) अपने कर्त्तव्यों के निष्पादन में उपगत खर्चों की बाबत ऐसे भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो विहित किए जाएं।

(4) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्य का पद लाभ का पद नहीं समझा जाएगा।

5ख. राष्ट्रीय बोर्ड की स्थायी समिति-- (1) राष्ट्रीय बोर्ड, अपने विवेकानुसार, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे कत्तव्यों का अनुपालन करने के प्रयोजन के लिए, जो राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा समिति का प्रत्योजित किए जाऐं, एक स्थायी समिति गठित कर सकेगा।

(2) स्थायी समिति उपाध्यक्ष, सदस्य-सचिव राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्यों में से उपाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले 10 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी।

(3) राष्ट्रीय बोर्ड उसका सौंपे गए कृत्यों के उचित निर्वहन के लिए समय-समय पर जैसा भी आवश्यक हो, समितियां, उप-समितियां या अध्ययन समूह गठित कर सकेगा।

5ग. राष्ट्रीय बोर्ड के कृत्य-- (1) राष्ट्रीय बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे उपायों द्वारा, जो वह ठीक समझे, वन्य जीव वनों के संरक्षण और विकास का संवर्धन करें।

(2) पूर्वगामी उपबंधों की व्यपकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इसमें निर्दिष्ट उपाय निम्नलिखित के लिए किए जा सकेंगे --

(क) वन्यजीव संरक्षण का संवर्धन करने के लिए और वन्यजीव और इसके उत्पादों का शिकार करने, चोरी करने या उसके अवैध व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए नीतियां बनाना तथा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को अर्थोपाय के संबंध में सलाह देना;

(ख) राष्ट्रीय उपवनों, अभ्यारण्यों और अन्य संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना और प्रबंध तथा उन क्षेत्रों में क्रियाकलाप पर निर्बंधन से संबंधित विषयों पर सिफारिशें करना;

(ग) वन्यजीव या इसके वास्थलों से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं और क्रियाकलापों का प्रभावी मूल्यांकन करना या करवाना;

(घ) देश में वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में हुई प्रगति का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और उनके सुधार के लिए उपाय सुझाना जो आवश्यक हों; और

(ड) कम से कम दो वर्ष से एक बार देश में वन्यजीव पर प्रास्थिति रिपोर्ट तैयार करना और से प्रकाशित करवाना।

6. राज्य वन्यजीव बोर्ड का गठन -- (1) राज्य सरकार वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 के प्रारंभ होने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर एक राज्य वन्यतीव बोर्ड गठित करेगी जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-

(क) राज्य मुख्यमंत्री और संघ राज्यक्षेत्र की दशा में, यथास्थिति, मुख्यमंत्री या प्रशासन-- अध्यक्ष;

(ख) वन और वन्यजीव का भारसाधक मंत्री-- उपाध्यक्ष;

(ग) राज्य विधान-मंडल के तीन सदस्य या विधान-मंडल सहित संघ राज्य क्षेत्र की दशा में, संघ राज्क्षेत्र की विधान सभा के दो सदस्य;

(घ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वालेवन्यजीव से संबंधित गैर-सरकार संगठनों का प्रतिनिलधित्व करने के लिए तीन व्यक्ति;

(ड) राज्य सरकार द्वारा सुविख्यात संरक्षण विज्ञानियों, पारिस्थितिकी विज्ञानियों और पर्यावरण विज्ञानियों, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के कम से कम दो प्रतिनिधि भी हैं, में से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दस व्यक्ति;

(च) यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र सरकार के वन और वन्यजीव का भारसाधक सचिव;

(छ) राज्य वन विभाग का भारसाधक अधिकारी;

(ज) राज्य सरकार के जनजाति कल्याण विभाग का सचिव;

(झ) प्रबंध निदेशक, राज्य पर्यटन विकास निगम

(त्र) राज्य के पुलिस विभाग का एक अधिकारी जो महानिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो;

(ट) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला सशस्त्र बलों का एक प्रतिनिधि जो ब्रिगेडियर की पंक्ति से नीचे का न हो;

(ठ) निदेशक, राज्य पशु पालन विभाग;

(ड) निदेशक, राज्य मत्स्य विभाग;

(ढ) निदेशक, वन्यजीव परिरक्षण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक अधिकारी;

(ण) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून का एक प्रतिनिधि;

(त) भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण का एक प्रतिनिधि;

(थ) भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का एक प्रतिनिधि;

(द) मुख्य वन्यजीव संरक्षक, जो सदस्य-सचिव होगा।

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि और उपधारा (1) के खण्ड (ग) और खण्ड (ड) में निर्दिष्ट रिक्तियों को भरने की रीति तथा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाए।

(3) सदस्य (पदेन सदस्यों के सिवाय) अपने कत्र्तव्यों के निष्पादन में उपगत खर्चों की बाबत ऐसे भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे जो विहित किए जाएं।

7. बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया -- (1) बोर्ड का अधिवेशन वर्ष में कम से कम दो बार ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार निर्देश दें।

(2) बोर्ड अपनी प्रक्रिया (जिसके अन्तर्गत गणपूर्ति है) स्वयं विनियमित करेगा।

(3) बोर्ड का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल उसमें किसी रिक्ति के विद्यमान होने या उसके गठन में किसी त्रुटि या बोर्ड की प्रक्रिया में किसी अनियमितता के कारण जिससे मामले के गुणागुण पर कोई पभाव नहीं पड़ता है, अविधिमान्य नहीं होगी।

8. राज्य वन्यजीव बोर्ड के कर्त्तव्य-- राज्य वन्यजीव बोर्ड का कत्तव्य राज्य सरकार को :-

(क) उन क्षेत्रों के चयन और प्रबंध के बारे में जिन्हें संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है;

(ख) वन्यजीव और विनिर्दिष्ट पादपों के परिरक्षण और संरक्षण के लिए नीति निर्धारित करने में;

(ग) किसी अनुसूची के संशोधन से संबद्ध किसी विषय के बारे में;

(गग) जनजातियों और वन्य वनवासियों की आवश्यकताओं तथा वन्यतीव के परिरक्षण और संरक्षण के बीच सामंजस्य थापित करने के लिए किए जाने वाले उपयों के संबंध में, और

(घ) वन्यजीव के संरक्षण से संबंधित किसी अन्य विषय के बारे में जो उसे राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, सलाह देना होगा ।

अध्याय -3

वन्य प्राणियों का आखेट करना

9. शिकार का प्रतिषेध-- कोई भी व्यक्ति अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 और अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट किसी वन्यप्राणी का, धारा 11 और धारा 12 के अधीन यथा उपबंधित के सिवाये, शिकार नहीं करेगा।

10. [निरसित]

****11. कुछ परिस्थितियों में वन्यप्राणियों के आखेट की अनुज्ञा का दिया जाना--** (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी अध्याय 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए --

(क) यदि मुख्य वन्यजीव संरक्षक का यह समाधान हो जाता है कि अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कोई वन्यप्राणी मानव जीवन के लिए खतरनाक हो गया है या ऐसा निःशक्त या रोगी है कि ठीन नहीं हो सकता है, तो वह लिखित आदेश द्वारा और उसके लिए कारण कथित करते हुए किसी व्यक्ति को ऐसे प्राणी का आखेट करने की या उसका आखाटे करवाने की अनुज्ञा दे सकेगा;

परन्तु किसी वन्यप्राणी को मारने का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि मुख्य वन्यजीव संरक्षक का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी प्राणी पकड़ा नहीं जा सकता, शान्त नहीं किया जा सकता या स्थानांतरित नहीं किया जा सकताः

(2) अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिरक्षा में किसी वन्यप्राणी को सद्भावनापूर्वक मारना या घायल करना अपराध नहीं होगा:

परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को विमुक्त नहीं करेगी जो, उस समय जब ऐसे प्रतिरक्षा आवश्यक हो गई है, इस अधिनियम के या उसके अधीन बना गए किसी नियम या आदेश के किसी उपबंध के उल्लंघन में कोई कार्य कर रहा था।

***12. विशेष प्रयोजनों के लिए अनुज्ञापत्र देना--** इस अधिनियम में अन्यत्र किसी बात को होते हुए भी, मुख्य वन्यजीव संरक्षक के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह पूर्ण लिखित आदेश द्वारा, उसके लिए कारण कथित करते हुए, किसी व्यक्ति को ऐसी फीस का संदाय करने पर जो विहित की जाए, अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट किसी वन्यप्राणी का, निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए आखेट करने के लिए हकदार बनाएगा, अर्थात्:-

(क) शिक्षा;

(ख) वैज्ञानिक अनुसंधान;

(खख) वैज्ञानिक प्रबंध।

स्पष्टीकरण - खण्ड (खख) के प्रयोजनों के लिए ''वैज्ञानिक प्रबंध'' पद से अभिप्रेत हैं--

(ग) निम्नलिखित के लिए नमूनों का संग्रहण --

(अ) धारा 38झ के अधीन अनुज्ञा के अधीन रहते हुए, मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर; या

(ब) संग्रहालय और तत्समान संस्थाएं;

(घ) प्राणरक्षक औषधियों के विनिर्माण के लिए सर्पविष निकालना, संग्रह करना या तैयार करना। परन्तु ऐसा कोई अनुज्ञापत्र:-

(क) अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट किसी वन्य प्शु की बाबत केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा से; और

(ख) किसी अन्य वन्य पशु की बाबत राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा से ही दिया जाएगा, अन्यथा नहीं।

13 से 17 [निरसित]

अध्याय-3 क

विनिर्दिष्ट पादपों का संरक्षण

17क. विनिर्दिष्ट पापदों के तोड़ने, उखाड़ने आदि का प्रतिषेध -- इस अध्याय में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई व्यक्ति --

(क) किसी विनिर्दिष्ट पादप को किसी वन भूमि से और केन्द्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारस, विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र से जानबूझकर नहीं तोड़ेगा, नहीं उखाड़ेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, नष्ट नहीं करेगा, अर्जित या उसका संग्रह नहीं करेगा;

(ख) किसी विनिर्दिष्ट पादप को, चाहे जीवित या मृत या उसके भाग या व्युत्पन्नी को, कब्जे में नहीं रखेगा विक्रय नहीं करेगा, विक्रय के लिए प्रस्थापित नहीं करेगा या दान के रुप में अथवा अन्यथा अंतरित नहीं करेगा, या उसका परिवहन नहीं करेगा:

परन्तु इस धारा की कोई जानजाति के किसी सदस्या को, अध्याय 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उस जिलें में, जिसमें वह निवास करता है, किसी विनिर्दिष्ट पादप या उसके भाग या व्युत्पन्नी को अपने सद्भावित व्यक्तिगत प्रयोग के लिए तोड़ने, संग्रह करने या कब्जे में रखने से निवारित नहीं करेगी।

17ख. विशेष प्रयोजनों के लिए अनुज्ञापत्र देना -- मुख्य वन्यजीव संरक्षक, राज्य सकार की पूर्व अनुज्ञा से, किसी व्यक्ति को किसी निविर्दिष्ट पादप को --

(क) शिक्षा;

(ख) वैज्ञानिक अनुसंधान;

(ग) किसी वैज्ञानिक संस्था के जड़ी-उद्यान में संग्रहण परिरक्षण और प्रदर्शन; या

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बाबत अनुमोदित किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा संवर्धन, के प्रयोजन के लिए किसी वन भूमि या धारा 17क के अधीन विनिर्दिष्ट क्षेत्र से तोड़ने, उखाड़ने, अर्जित करने संग्रह करने या उसका परिवहन करने के लिए अनुज्ञापत्र ऐसी शर्तों के अधीन जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, दे सकेगा

17ग. अनुज्ञप्ति के बिना विनिर्दिष्ट के बिना विनिर्दिष्ट की खेती का प्रतिषेध -- (1) कोई भी व्यक्ति, मुख्य वन्यजीव संरक्षक द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति के अधीन और उसके अनुसार के सिवाय, किसी विनिर्दिष्ट पादप की खेती नहीं करेगा:

परन्तु इस धारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को, जो वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 1991 के प्रारंभ के टीक पूर्व, किसी विनिर्दिष्ट पादप की खेती कर रहा था, ऐसे प्रारंभ में छः मास की अवधि के लिए, या जहां उसने उस अवधि के भीतर अपने लिए अनुज्ञप्ति दिए जाने का आवेदन किया है वहां तब तक जब तक से अनुज्ञप्ति नहीं दी जाती है या लिखित में उसे यह जानकारी नहीं दी जाती है कि उसे अनुज्ञप्ति नहीं दी जा सकती है, ऐसे खेती करते रहने से निवारित नहीं करेगा।

(2) इस धारा के अधीन दी गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति में वह क्षेत्र जिसमें और वे शर्तें, यदि कोई हो, जिनके अधीन रहते हुए, अनुज्ञप्तिधारी किसी विनिर्दिष्ट पादप की खेती करेगा, विनिर्दिष्ट की जाएगी।

17घ. अनुज्ञप्ति के बिना विनिर्दिष्ट पादपों में व्यौहार करने का प्रतिषेध-- (1) कोई भी व्यक्ति,मुख्य वन्यतीव संरक्षक द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति के अधीन और उसके अनुसार के सिवाय, विनिर्दिष्ट पादप या उसके भाग या व्युत्पन्नी में व्यौहारों के रुप में कारबार या उपजीविका आरंभ नहीं करेगा या नहीं चलाएगा:

परन्तु इस धारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को, जो वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 1991 के प्रारंभ के ठीक पूर्व, ऐसे कारबार या उपजीविका चला रहा था, ऐसे प्रारंभ से साठ दिन की अवधि के लिए, या जहां उसने उस अवधि के भीतर अपने लिए अनुज्ञप्ति दिए जाने का आवेदन किया है, वहां तब तक जब तक उसे अनुज्ञप्ति नहीं दी जाती है या लिखित में उसे यह जानकारी नहीं दी जाती है कि उसे अनुज्ञप्ति नहीं दी जा सकती है, ऐसर कारबार या उपजीविका करते रहने से निवारित नहीं करेगी।

(2) इस धारा के अधीन दी गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति में वह परिसर जिसमें और वे शर्तें, यदि कोई हों, जिनके अधीन रहते हुए, अनुज्ञप्तिधारी अपना कारबार चलाएगा, विनिर्दिष्ट की जाएगी।

17ड. स्टाक की घोषणा-- (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो विनिर्दिष्ट पादप या उसके भाग या व्युत्पन्नी की खेती या उसमें व्यवहार करता है, वन्यजीव संरक्षक या राज्य सरकार द्वारा अस निमित प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के समक्ष, यथास्थिति, ऐसे पादपों और उसके भाग या व्युत्पन्नी के, ऐसे प्रारंभ की तारीख को, अपने स्टाक की घोषणा करेगा।

(2) धारा 44 की उपधारा (3) से उपधारा (8) तक (जिसमें ये दोनों उपधाराएं भी है), धारा 45, धारा 46 और धारा 47 के उपबंध, जहां तक हो सके, धारा 17ग और धारा 17घ में निर्दिष्ट किसी आवेदन और अनुज्ञप्ति के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे प्राणी या प्राणी-वस्तुओं की अनुज्ञप्ति और कारबार को लागू होते हैं।

17च. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पादनों का कब्जा, आदि -- इस अध्याय के अधीन कोई अनुज्ञप्ति--

(क) निम्नलिखित को अपने नियंत्राण, अभिरक्षा, या कब्जे में नहीं रखेगा, अर्थात-

(प) कोई विनिर्दिष्ट पादप या उसका भाग या व्युत्पन्नी, जिसके संबंध में धारा 17ड के उवपबंधों के अधीन घोषणा की जाती है किन्तु की नहीं गई है;

(पप) कोई विनिर्दिष्ट पादप या उसका भाग या व्युत्पन्नी, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के उपबंधों केअधीन विधिपूर्वक अर्जित नहीं की गई है।

(ख) निम्नलिखित में से कोई र्का, उन शर्तों के, जिनके अधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति दी गई है और ऐसे नियमों के, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए जाएं, अनुसार ही करेगा, अन्यथा नहीं, अर्थात-

(प) किसी विनिर्दिष्ट पादप को तोड़ना, उखाड़ना या उसका संग्रह या अर्जन करना या

(पप) किसी विनिर्दिष्ट पादप या उसके भाग या व्युत्पन्नी को अर्जित करना, प्राप्त करना, अपने नियंत्राण, अभिरक्षा या कब्जे में रखना या विक्रय करना, विक्रय के लिए प्रस्थापित करना या परिवहन करना।

17छ. विनिर्दिष्ट पादपों का क्रय, आदि -- कोई भी व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट पादप या उसके भाग या व्युत्पन्नी को किसी अनुज्ञप्त व्यौहारी से ही क्रय करेगा, प्राप्त या अर्जित करेगा, अन्यथा नहीं:

परन्तु इस धारा की कोई बात धारा 17 ख में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को लागू नहीं होगी।

17ज. पापदों का सरकारी संपत्ति होगा -- (1) प्रत्येक विनिर्दिष्ट पादप या उसका भाग या व्युत्पन्नी, जिसके संबंध में इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के विरुद्ध कोई अपराध किया गया है, राज्य सरकार की संपत्ति होगी और जहां ऐसा पादप या उसका भाग या व्युत्पन्नी केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित किसी अभ्यारण या राष्ट्रीय उपवन से संगृहीत या अर्जित की गई है वहां ऐसा पादप या उसका भाग या व्युत्पन्नी के न्द्रीय सरकार की संपत्ति होगी।

(2) धारा 39 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंध, जहां तक हो सके, विनिर्दिष्ट पादप या उसके भाग या व्युत्पन्नी के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस धारा की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट वन्य प्राणियों और वस्तुओं के संबंध में लागू होते हैं।

अध्याय 4: संरक्षित क्षेत्र

अभ्यारण

18. अभ्यारण्य की घोषणा -- (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी आरक्षित वन में समाविष्ट किसी क्षेत्र में भिन्न किसी क्षेत्र या राज्यक्षेत्रीय सागरखण्ड को अभ्यारण्य गठित करने के अपने आशय की घोषणा कर सकेगी, यदि वह यह समझती है कि ऐसा क्षेत्र, वन्यजीव या उसके पर्यावरण के संरक्षण, संवर्द्धन या विकास के प्रयोजन के लिए पर्याप्त रुप से पारिस्थितिक, प्राणी-जात, वनस्पति-जात, भू-आकृति, विज्ञान-जात, प्राकृतिक या प्राणी विज्ञान- जात महत्व का है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना में यथा संभव निकटतम रुप से, ऐसे क्षेत्र की स्थिति और सीमाएं विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

स्पष्टीकरण -- इस धारा के प्रयोजनों के लिए क्षेत्र की सड़कों, नदियों, टीलों या अन्य सुज्ञात या सरलता से बोधगम्य सीमाओं से वर्णित करना पर्याप्त होगा।

18क. अभ्यारण्यों की सुरक्षा -- (1) जब राज्य सरकार धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन उस उपधारा के अधीन किसी आरक्षित वनया राज्य क्षेत्रीय जल क्षेत्र के अन्तर्गत न आने वाले किसी क्षेत्र को अभ्यारण्य के रुप में गठित करने के लिए अपने आशय की घोषणा करती है तब धारा 27 से धारा 33क (जिसमें दोनों धाराएं सम्मिलित है) के उपबंध तत्काल प्राभावी होंगे।

(2) धारा 19 से धारा 24 (जिसमें दोनों धाराएं सम्मिलित हैं) के अधीन प्रभावित व्यक्तियों केअधिकारों का जब तक अंतिम रुप से निपटारो नहीं किया जाता, तब तक राज्य सरकार, सरकारी अभिलेख के अनुसार प्रभावित व्यक्तियों के लिए ईंधन, चारा और अन्य वन उत्पाद उनके अधिकारों के अनुसार, उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित वैकल्पिक व्यवस्था करेगी।

18ख. कलेक्टर की नियुक्ति -- वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 के प्रवृत्त होने से नब्बे दिन के भीतर या धारा 18 के अधीन अधिसूचना जाती करने के तीस दिन के भीतर राज्य सरकार अधिनियम के अधीन अभ्यारण्य की सीमाओं के भीतर आने वाले ऐसी भूमि पर जो धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित की जा सकेगी, किसी व्यक्ति के अधिकारों के अस्तित्व, प्रकृति और विस्तार की जांच करने और उसके अवधारित करने के लिए कलेक्टर के रुप में कार्य करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति करेगी जो उप कलेक्टर से नीचे की पंक्ति का अधिकारी न हो।

19. कलेक्टर द्वारा अधिकारों का अवधारण किया जाना-- जब धारा 18 के अधीन कोई अधिसूचना जारी की गई हो, तब कलेक्टर उस अभ्यारण की सीमाओं के भीतर आने वाले भूमि में या उसके संबंध में किसी व्यक्ति के अधिकारों के अस्तित्व, प्रकृति और विस्तार के बारे में जांच करेगा और उन्हें अवधारित करेगा।

20. अधिकारों के प्रोद्भवन का वर्जन -- धारा 18 के अधीन अधिसूचना निकाले जाने के पश्चात, ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र की सीमाओं में आने वाली भूमि, उस पर या उसके संबंध में कोई अधिकार, वसीयतों या निर्वसीयती, उत्तराधिकार के सिवाय अर्जित नहीं किया जाएगा।

21. कलेक्टर द्वारा उद्घोषणा-- जब धारा 18 के अधीन कोई अधिसूचना निकाली जा चुकी है, तब कलेक्टर साठ दिन की कालावधि के भीतर उसके आस-पास के प्रत्येक नगर और ग्राम में या उसमें आने वाले क्षेत्र के आसपास प्रादेशिक भाषा में एक उदघोषणा प्रकाशित करेगा जिसमें:-

(क) प्रस्थापित अभ्यारण की, यथा संभव निकटतम रुप से स्थिति और सीमाएं विनिर्दिष्ट होगी' और

(ख) धारा 19 में वर्णित किसी अधिकार का दावा करने वाले किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाएगी कि ऐसी उद्घोषणा की तारीख से दो मास के भीतर वह विहित प्रारुप लिखित रुप में दावा करें जिसमें ऐसे अधिकार की आवश्यक ब्यौरों के साथ प्रकृति और विस्तार और उसके बारे में दावाकृत प्रतिकर, यदि कोई हो, और उसकी रकम और विशिष्टियां विनिर्दिष्ट होगी ।

22. कलेक्टर द्वारा दावेदार पर विहित सूचना की तामील करने के पश्चात--

(क) धारा 21 के खण्ड (ख) के अधीन उसके समक्ष किए गए दावे के बारे में, और

(ख) उस अधिकार के अस्तित्व के बारे में, जो धारा 19 में वर्णित है और धारा 21 के खण्ड (ख) के अधीन दावाकृत नहीं है,

शीघ्रता के साथ वहां तक जांच करेगा जहां तक कि वह राज्य सरकार के अभिलेखों और उससे परिचित किसी व्यक्ति के साक्ष्य से अभिनिश्चित किया जा सकता है।

23. कलेक्टर की शक्तियां -- (1) धारा 19 में निर्दिष्ट किसी भूमि में या उसके बारे में, किसी दावे की दशा में, कलेक्टर उसको पूर्णतः या भागतः स्वीकार करते हुए या मनामंजूर करते हुए एक आदेश पारित करेगा।

(2) यदि ऐसा दावा पूर्णतः या भागतः स्वीकार करते हुए या नामंजूर करते हुए एक आदेश पारित करेगा ।

(क) प्रस्थापित अभ्यारण्य की सीमाओं से ऐसी भूमि का अपवर्जन कर सकेगा, या

(ख) ऐसी भूमि को या ऐसी भूमि में या उसके बारे में अधिकार, सिवाय वहां के जहां कि ऐसी भूमि के स्वामी या ऐसे अधिकारों के धारक और सरकार के बीच किसी करार द्वारा वह स्वामी या ऐसे अधिकारों का धारक अपने अधिकार सरकार को अभ्यर्पित करने के लिए सहमत होग या है और ऐसा प्रतिकर, जैसा कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) में उपबंधित है, संदत्त करके, अर्जित करने के लिए कार्यवाही कर सकेगा।

(ग) मुख्य वन्यजीव संरक्षक के परामर्श से अभ्यारण्य की सीमाओं के भीतर किसी भूमि में या उस पर किसी व्यक्ति के किसी अधिकार का जारी रहना अनुज्ञात कर सकेगा।

25. अर्जन कार्यवाहियां-- (1) ऐसी भूमि या ऐसी भूमि में या उसके बारे में अधिकारों के अर्जन के योजन के लिए:-

(क) कलेक्टर, ऐसा कलेक्टर समझा जाएगा, जो भूमि अर्जन अधिनियम,1894 (1894 का (1) के अधीन कार्यवाही कर रहा है;

(ख) दावेदार को ऐसा व्यक्ति समझा जाएगा जो हितबद्ध है और उस अधिनियम की धारा 9 के अधीन दी गई सूचना के अनुसरण में उसके समक्ष उपस्थित हो रहा है;

(ग) उस अधिनियम की धारा 9 के पूर्ववर्ती धाराओं के उपबंधों के बारे में यह समझा जाएगा कि उनका अनुपालन हो गया है;

(घ) जहां दावेदार प्रतिकर के संबंध में अपने पक्ष में दिए गए अधिनिर्णय को स्वीकार नहीं करता है वहां उसकी बाबत यह समझा जाएगा कि वह उस अधिनियम की धारा 18 के अर्थ में ऐसा हितबद्ध व्यक्ति है, जिसने अधिनिर्णय को स्वीकार नहीं किया है, और वह उस अधिनियम के भाग 3 के उपबंधों के अधीन उस अधिनिर्णय के विरुद्ध अनुतोष का दावा करने के लिए कार्यवाही करने का हकदार होगा;

(ड) कलेक्टर, दावेदार की सहमति से या न्यायालय दोनों पक्षकारों की सहमति से, प्रतिकर, भूमि के या धन के रुप में या भागतः भूमि के रुप में और भागतः धन के रुप में दे सकेगा; और

(च) किसी लोक-मार्ग या सामान्य चारागाह के रोकेजाने की दशा में, कलेक्टर, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, यावत्साध्य या सुविधानुसार किसी आनुकल्पित लोक मार्ग या सामान्य चारागाह के लिए उपबंध कर सकेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी भूमि के या उसमें किसी हित के अर्जन के बारे में यह समझा जाएगा कि वह लोक प्रयोजन के लिए अर्जन है।

25क. अर्जन कार्यवाहियां के पूरा होने के लिए समय सीमा-- (1) कलेक्टर धारा 18 के अधीन अभ्यारण्स की घोषणा की अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष के भीतर धारा 19 से धारा 25 (जिसमें दोनों धाराएं सम्मिलित हैं) के अधीन यथासंभव कार्यवाहियों को पूरा करेगा।

(2) यदि किसी कारण से कार्यवाहियां दो वर्ष की अवधि के भीतर पूरी नहीं की जाती है तो अधिसूचना व्यपगत नहीं होंगी।

26. कलेक्टर की शक्तियों का प्रत्यायोजन-- राज्स सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि कलेक्टर द्वारा धारा 19 से धारा 25 के (जिसमें ये दोनों धाराएं भी सम्मिलित हैं) अधीन प्रयोक्तव्य

शक्तियां या किए जाने वाले कृत्य, ऐसे अधिकारी द्वारा, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रयुक्त की जा सकेगी और किए जा सकेंगे।

26क. क्षेत्र की अभ्यारण्य के रुप में घोषणा-- (1) यदि--

(1) धारा 18 के अधीन कोई अधिसूचना जारी कर गई है और दावे करने की अवधि समाप्त हो गई है और अभ्यारण्य के रुप में घोषित किए जाने के लिए आशयित किसी क्षेत्र में किसी भूमि के संबंध में सभी दावो, यदि कोई हों, राज्य सरकार द्वारा निपटा दिए गए हैं; या

(ख) किसी आरक्षित वन के भीतर समाविष्ट कोई क्षत्र या राज्य क्षेत्रीय सागरखण्ड का कोई भाग, जिसे राज्य सरकार द्वारा वन्यजीव या उसके पर्यावरण के संरक्षण, संवर्द्धन या विकास के प्रयोजन के लिए पर्याप्त रुप से पारिस्थितिक, प्राणी-जात, वनस्पति-जात, भू-आकृति विज्ञान-जात, प्राकृतिक या प्राणी विज्ञान-जात महत्व का समझा जाता है, किसी अभ्यारण्य में सम्मिलित किया जाना है, तो राज्य सरकार उस क्षेत्र की सीमाएं विनिर्दिष्ट करते हुए, जो अभ्यारण्य में समाविष्ट किया जाएगा, अधिसूचना जारी करेगी और यह घोषित करेगी कि उक्त क्षेत्र उस तारीख से ही, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएक, अभ्यारण्य होगाः

परन्तु जहां राज्यक्षेत्रीय सागरखंड का कोई भाग इस प्रकार सम्मिलित किया जाना है वहा राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति अभिप्राप्त करेगीः

परन्तु यह और कि अथ्यारण्य में सम्मिलित किए जाने वाले राज्यक्षेत्रीय सागरखण्ड के क्षेत्र की सीमाएं केन्द्रीय सरकार के मुख्य नौ जलराशि-सर्वेक्षक के परामर्श से और स्थानीय मछुआरों के वृत्तिक हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त उपाय करने के पश्चात अवधारित की जाएगी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना से राज्यक्षेत्रीय सागर खण्ड से किसीह जलयान या नौका के निर्दोष आवागमन का अधिकार प्रभावित नहीं होगा।

(3) राष्ट्रीय बोर्ड की सिफारिश के सिवाय राज्य सरकार द्वारा अभ्यारण्य की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

27. अभ्यारण्य में प्रवेश पर निर्बन्धन-- (1)

(क) किसी कर्तव्यरत लोक सेवक से भिन्न--

(ख) ऐसे व्यक्ति से, जो मुख्य वन्यजीव संरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभ्यारण्य की सीमाओं के अन्दर निवास करने के लिए अनुज्ञात है, भिन्न;

(ग) ऐसे व्यक्ति से, जिसका अभ्यारण्य की सीमाओं के भीतर स्थावर संपत्ति पर कोई अधिकार है, भिन्न;

(घ) ऐसे व्यक्ति से जो लोक राजमार्ग के साथ-साथ अभ्यारण्य में से हाकर जाता है, भिन्न, और

(ड) खण्ड (क), खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति के आश्रितों से भिल्ल; कोई भी व्यक्ति धारा 28 के अधीन दिए गए अनुज्ञापत्र के अधीन और उसकी शर्तों अनुसरण में ही अभ्यारण्य में प्रवेश करेगा या निवास करेगा अन्यथा नहीं।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जब तक वह अभ्यारण्य में निवास करता है -

(क) अभ्यारण्य में इस अधिनियम के विरुद्ध किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए

(ख) जहां तक विश्वास करने का कारण है कि ऐसे अभ्यारण्य में इस अधिनियम के विरुद्ध ऐसा कोई अपराध किया गया है, वहां अपराधी का पता चलाने और उसे गिरफ्तार करने में सहायता करने के लिए;

(ग) किसी वन्य प्राणी की मृत्यु की रिपोर्ट करने और उसके अवशेषों की तब तक सुरक्षा करने के लिए जब तक कि मुख्य वन्यजीव संरक्षक या कोई प्राधिकृत अधिकारी उसका भार ग्रहण नहीं कर लेता है;

(घ) ऐसे अभ्यारण्य में ऐसी किसी आग को बुझाने के लिए जिसके बारे में उसे ज्ञान या जानकारी है, और ऐसे अभ्यारण्स के सामीप्य में किसी आग को, जिसके बारे में उसे ज्ञान या जानकारी है, फैलने से, विधिपूर्ण साधनों से जो कि उसकी शक्ति में हैं, रोकने के लिए; और

(ड) किसी वन अधिकारी, मुख्य वन जीव संरक्षक, वन्यजीव संरक्षक या पुलिस अधिकारी को, जो इस अधिनियम के विरुद्ध किसी अपराध को रोकने के लिए या ऐसे अपराध का अन्वेषण करने के लिए उसकी सहायता मांग रहा हो, सहायता करने के लिए, आबद्ध होगा।

(3) कोई भी व्यक्ति किसी अभ्यारण्य के किसी सीमा चिन्ह को नुकसान पहुंचाने या भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) में यथा परिभाषित सदोष लाभ कारित करने के आशय से ऐसे सीमा चिन्ह में न तो फेरफार करेगा, न उसके नष्ट करेगा, न हटाएा या विरुपित करेगा।

(4) कोई व्यक्ति किसी वन्यप्राणी को तंग या उत्पीडित नहीं करेगा या अभ्यारण्य की भूमि को अव्यवस्थित नहीं करेगा।

***28. अनुज्ञापत्र का दिया जाना--** (1) मुख्य वन्यजीव संरक्षक आवेदन किए जाने पर किसी व्यक्ति को निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी के लिए अभ्यारण्य में प्रवेश करने या निवास करने के लिए अनुज्ञापत्र दे सकेगा, अर्थात्:-

(क) वन्यजीव के अन्वेषण का अध्ययन और उसके प्रासंगिक या अनुषंगिक प्रयोजन;

(ख) फोटोचित्रण;

(ग) वैज्ञानिक अनुसंधान;

(घ) पर्यटन;

(ड) अभ्यारण्य में निवास कर रहे किसी व्यक्ति के साथ विधिपूर्ण कारबार करना।

(2) किसी अभ्यारण्य में प्रवेश या निवास करने के लिए अनुज्ञापत्र ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, जारी किया जाएगा।

29. अनुज्ञापत्र के बिना अभ्यारण्स में नाशकरण, आदि पर प्रतिषेध -- कोई भी व्यक्ति मुख्य वन्यजीव संरक्षक द्वारा दिए गए अनुज्ञापत्र के अधीन और उसके अनुसार के सिवाय, किसी भी कार्य द्वारा किसी अभ्यारण्य में वनोत्पाद सहित किसी वन्यजीव को नष्ट नहीं करेगा, उसका विदोहन नहीं करेगा या उसे नहीं हटाएगा या उसका अपवर्तन नहीं करेगा अथवा अभ्यारण्य में या उसके बाहर जल अपवर्तन, रोधन अथवा वृद्धि नहीं करेगा और ऐसा अनुज्ञापत्र तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक राज्य सरकार, बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो जाने पर कि अभ्यारण्य से वन्यजीव को हटाया जाना अथवा अभ्यारण्य के अन्दर अथवा बाहर की ओर जल प्रवाह में परिवर्तन किया जाना, उसमें वन्यजीवों के सुधार और बेहतर प्रबंध के लिए आवश्यक है, ऐसी अनुज्ञापत्र देने के लिए प्राधिकृत नहीं कर देतीः

परन्तु जहां किसी अभ्यारण्य से वनोत्पाद को हटाया जाता है, उसका उपयोग, अभ्यारण्य में अथवा आसपास रहने वाले लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकेगा और किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उसका उपयोग नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण-- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, धारा 33 के खण्ड (घ) के अधीन अनुज्ञात पशुधन की चराई या संचलन इस धारा के अधीन प्रतिषिद्ध कार्य नहीं समझा जाएगा।

30. आग लगाने के बारे में प्रतिषेध-- कोई भी व्यक्ति किसी अभ्यारण्य में, ऐसी रीति से जिससे ऐसा अभ्यारण्य खतरे में पड़ जाए, न तो आग लगाएगा, न आग प्रज्वलित करेगा और न किसी आग को जलते हुए छोड़ेगा।

31. अभ्यारण्य में आयुध सहित प्रवेश का प्रतिषिद्ध होना-- कोई भी व्यक्ति मुख्य वन्यजीव संरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी की दलिखित पूर्व अनुज्ञा से ही किसी आयुध सहित किसी अभ्यारण्य में प्रवेश करेगा अन्यथा नहीं।

32. क्षतिकर पदार्थ के प्रयोग पर रोक-- कोई भी व्यक्ति किसी अभ्यारण्य में रसायनों, विस्फोटकों या किन्हीं अन्य पदार्थों का, जो ऐसे अभ्यारण्य के किसी वन्यजीव को क्षति पहुंचा सकें या खतरे में डाल सकंे, प्रयोग नहीं करेगा।

33. अभ्यारण्यों का नियंत्रण -- मुख्य वन्यजीव संरक्षक ऐसे प्राधिकारी होगा जो सभी अभ्यारण्यों का नियंत्रण करेगा, उनका प्रबंध करेगा और उन्हें बनाए रखेगा और उस प्रयोजन के लिए वह किसी अभ्यारण्य की सीमाओं के भीतर :-

(क) ऐसी सड़के, पुल, भवन, बाड़ या रोक फाटक सन्निर्मित कर सकेगा, तथा ऐसे अन्य संकर्मों की जो वह ऐसे अभ्यारण्य के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे विनिर्मित कर सकेगा:

(ख) ऐसे कदम उठाएगा जो अभ्यारण्य में वन्य प्राध्णियों के सुरक्षा तथा अभ्यारण्य और उसमें वन्य प्राणियों का परिरक्षण सुनिश्चित करें;

(ग) वन्जीवों के हित में ऐसे उपाय कर सकेगा जो वह किसी आवास से सुधार के लिए आवश्यक समझे;

(घ) वन्यजीवों के हित के अनुकूल पशुधन के चरने या संचलन को विनियमित, नियंत्रित या प्रतिषिद्ध कर सकेगा।

33क. पशुधन का असंक्रमीकरण-- (1) मुख्य जीव वन्यजीव संरक्षक अभ्यारण्य या उससे पांच किलामीटर के भीतर रखे गए पशुधन में संचारी रोगों के अंसक्रमीकरण के लिए, ऐसी रीति में ऐसे उपाय, जो विहित किए जाएं, करेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति अंसक्रमित कराए बिना किसी पशुधन को किसी अभ्यारण्य में न तो ले जाएगा, न ले जाने देगा, न चराएगा।

33ख. सलाहकार समिति-- (1) राज्य सरकार, एक सलाहकार समिति का गठन करेगी जिसका अध्यक्ष मुख्य वन्यजीव संरक्षक अथवा वनपाल के अनिम्न पंक्ति का उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति होगा तथा उसमें उस राज्य विधान-मंडल का सदस्य, जिसके निर्वाचन-क्षेत्र में वह अभ्यारण्य स्थित है, पंचायतीराज संस्थाओं के तीन प्रतिनिधि, गैर सरकारी संगठनों के दो प्रतिनिधि, वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय तीन व्यक्ति, गृह और पशुपालन मामलों से संबद्ध विभागों के एक-एक प्रतिनिधि, अवैतनिक वन्यजीव संरक्षक, यदि कोई हो, तथा अभ्यारण्य का भारसाधक अधिकारी सदस्य-सचिव के रुप में सम्मिलित होंगे।

(2) समिति, अभ्यारण्य के भीतर और आस-पास रहने वाले लोगों की सहभागिता सहित अभ्यारण्य के बहतर संरक्षण और प्रबंधन के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में परामर्श देगी।

(3) यह समिति अपनी कार्य पद्धति को, जिसके अन्तर्गत गणपूर्ति (कोरम) भी है, विनियमित करेगी।

34. आयुध रखने वाले कतिपय व्यक्तियों का रजिस्टीकरण - (1) किसी भी क्षेत्र के अभ्यारण्य के रुप घोषित किए जाने के तीन मास के भीतर, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो ऐसे किसी अभ्यारण्य के दस किलोमीटर के भीतर निवास कर रहा है और आयुध रखने के लिए अधिनियम, 1959 (1959 का 54) के अधीनददीगगई अनुज्ञप्ति धारण करता है या जो उस अधिनियम के उपबंधों से छूट प्राप्त है और उसके पास आयुध है, ऐसे प्रारुप में और ऐसी फीस का संदाय करके तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, मुख्य वन्यजीव संरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी को अपने नाम के रजिस्ट्रीकरण करेगा जो विहित की जाए ।

(2) उपराधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर मुख्य वन्यजी संरक्षक या अधिकारी आवेदक को नाम ऐसी रीति में रजिस्ट्रीकरण करेगा जो विहित की जाए ।

(3) आयुध अधिनियम, 1959 के अधीन कोई नई अनुज्ञप्ति, अभ्यारण्य की दस किलामीटर की परिधि के भीतर, मुख्य वन्यजीव संरक्षक की पूर्व सहमति के बिना, नहीं दी जाएगी ।

34क. अतिक्रमण को हटाने की शक्ति– (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट िकसी बात के होते हुए भी, सहायक वनपाल से अनिम्न पंक्ति का कोई अधिकारी-

(1) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में अप्राधिकृत रुप से सरकार भूमि पर कब्जा करने वाले किसी भी व्यक्ति को अभ्यारण्य अथवा राष्टीय उपवन से बेदखल कर सकेगा ।

(ख) किसी अभ्यारण्य अथवा राष्ट्रीय उपवन के भीतर किसी सरकारी भूमि पर खड़ी की गई किसी अप्राधिकृत संरचना, भवन अथवा सन्निर्माण को हटा सकेगा और उस व्यक्ति की सभी वस्तुएं, औजार और चीजबस्त उप वनपाल के पद से अनिम्न पंक्ति के किसी अधिकारी के आदेश द्वारा, समपहृत कर लिया जाएगाः

परन्तु ऐसा कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है।

(2) इस धारा के उपबंध किसी अन्य शास्ति के होते हुए भी जो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अतिक्रमण के लिए लगाई जा सकेगी, लागू होंगे।

राष्ट्रीय उपवन

***35. राष्ट्रीय उपवनों की घोषणा--**(1) जब कभी राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि कोई क्षेत्र जो किसी अभ्यारण्य के भीतर है या नहीं, अपने परिस्थितिक, प्राणी-जात, वनस्पति-जात, भू-आकृति विज्ञान-जात या प्राणी विज्ञान-जातमहत्व के कारण उसमें वन्यजीवों के और उनके पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन या विकास के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय उपवन के रुप में गठित करने के अपने आशय की घोषणा कर सकेगीः

परन्तु जहां राज्य क्षेत्रीय सागरखण्ड के किसी भाग को ऐसे राष्ट्रीय उपवन में सम्मिलित करना प्रस्थापित है वहां धारा 26क के उपबंध, जहां तक हो सके, राष्ट्रीय उपवन की घोषणा के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी अभ्यारण्स की घोषणा के संबंध में लागू होते हैं।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिसूचना में उस क्षेत्र की सीमाएं परिनिश्चित की जाएंगी जिसे राष्ट्रीय उपवन के रुप में घोषित करने का आशय है।

(3) जहां किसी क्षेत्र को राष्ट्रीस उपवन के रुप में घोषित करने का आशय है वहां धारा 19 से धारा 26क (जिसमें धारा 24 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के सिवाय ये दोनों धाराएं भी सम्मिलित हैं) उपबंध यथाशक्य ऐसे क्षेत्र में किसी भूमि के संबंध में दावों के अन्वेषण और अवधारण को तथा अधिकारों के निर्वापन को वैसे ही लागू होंगे जैसे वे किसी अभ्यारण्य में किसी भूमि के संबंध में उक्त बातों के बारे में लागू होतो हैं।

(4) जब निम्नलिखित घटनाएं घटित हो गई हैं, अर्थात्:-

(क) दावे करने की अवधि बीतचुकी है और राष्ट्रीय उपवन के रुप में घोषित किए जाने के लिए आशयित किसी क्षेत्र में किसी भूमि के संबंध में किए गए दावे, यदि कोई हों, राज्य सरकार द्वारा निपटा दिए गए हैं, और

(ख) राष्ट्रीय उपवन में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रस्थापित भूमि के बारे में सभी अधिकार राज्य सरकार में निहित हो गए हैं,

तब राज्य सरकार अधिसूचना प्रकाशित करेगी जिसमें क्षेत्र की सीमाएं विनिर्दिष्ट की जाएंगी जो राष्ट्रीय उपवन में समाविष्ट होंगी और यह घोषित करेगी कि उक्त क्षेत्र ऐसी तारीख को और से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, राष्ट्रीय उपवन होगा।

(5) राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उपवन की सीमाओं में कोई परिवर्तन राष्ट्रीय बोर्ड की सिफारिश पर ही किया जाएगा अन्यथा नहीं।

(6) कोई भी व्यक्ति, मुख्य वन्यजीव संरक्षक द्वारा दिए गए अनुज्ञापन के अधीन उसके अनुसार ही, किसी राष्ट्रीय उपवन में वनोत्पाद सहित किसी वन्यजीव को नष्ट करेगा अथवा उसको शोषण करेगा या उसे हटाएगा अथवा किसी भी कार्य द्वारा किसी वन्यजीव के आवास को नष्ट करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, या उपवर्तन करेगा अथवा राष्ट्रीय उपवन में अथवा उसके बाहर जल प्रवाह का अपवर्तन, रोधन अथवा वृद्धि करेगा और ऐसा अनुज्ञापत्र तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि राज्य सरकार का राष्ट्रीय बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, यह समाधान हो जाने पर कि राष्ट्रीय उपवन से वन्यतीव को हटाया जाना अथवा राष्ट्रीय उद्यान के अन्दर अथवा बाहर की ओर जल प्रवाह में परिवर्तन किया जाना उसमें रहने चाले व्यय जीवों के सुधार बेहतर प्रबंध के लिए आवश्यक है, ऐसा अनुज्ञापत्र देने के लिए प्राधिकृत नहीं कर देती हैः

परन्तु जहां किसी राष्ट्रीय उपवन से वनोत्पाद को हटाया जाता है, वहां उसका उपयोग राष्ट्रीय उपवन में अथवा आस-पास रहने वाले लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकेगा और किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उसका उपयोग नहीं किया जाएगा।

(7) किसी पशुधन को, सिवाय उस दशा के जिसमें की ऐसे पशुधन का, ऐसे राष्ट्रीय उपवन में प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा यान के रुप में उपयोग किया जाता है, किसी राष्ट्रीय उपवन में चरने नहीं दिया जाएगा और किसी पशुधन को उसमें प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

(8) धारा 27 और धारा 28, धारा 30 से 32 (जिसमें ये दोनों धाराएं भी सम्मिलित है) और धारा 33, धारा 33 क के खण्ड (क), खण्ड (ख) और खण्ड (ग) तथा धारा 34 के उपबंध किसी राष्ट्रीय उपवन के संबंध में यावत्शक्य वैसे ही लागू होंगे जैसे वे अभ्यारण्य के सबंध में लागू होते हैं।

स्पष्टीकरण-- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी ऐसे क्षेत्र की दशा में, चाहे वह अभ्यारण में हो या न हो, जहां अधिकारों की निर्वापित कर दिया गया है और भूमि किसी विधि के अधीन या अन्यथा राज्य सरकार में निहित हो गई है, उसके द्वारा ऐसे क्षेत्र को अधिसूचना द्वारा, राष्ट्रीय उपवन अधिसूचित किया जा

सकेगा और धारा 19 से धारा 26 तक (दोनों को सम्मिलित करते हुए) के अधीन कार्यवाहियां तथा इस धारा की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

36. [निरसित]

36क. संरक्षण आरक्षिति की घोषणा और प्रबंधन-- (1) राज्य सरकार, स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श करने के पश्चात् सरकार के स्वामित्वाधीन किसी क्षेत्र को, विशेषकर ऐसे क्षेत्रों को जो राष्ट्रीय उवनों और अभ्यारणों के निकट स्थित है और जो एक संरक्षितक्षेत्र को दूसरे संरक्षित क्षेत्र से जोड़ते हैं, भू-परिदृश्य, वनस्पतियों तथा प्राणियों और उनके आवास की सुरक्षा करने के लिए संरक्षण आरक्षिति घोषित कर सकेगाः

परन्तु जहां संरक्षण हेतु आरक्षिति में से भूमि सम्मिलित हैं जो केन्द्र सरकार के स्वामित्वाधीन हो तो ऐसी घोषणा करने के पूर्व केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(2) धारा 18 की उपधारा (2), धारा 27 की उपधारा (2), उपधारा (3ल् और उपधारा (4), धारा 30, धारा 32 तथा धारा 33 के खण्ड (ख) (ग) संरक्षण आरक्षिति के मामले में, यावत्संभव, उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी अभ्यारण्स के सबंध में लागे होते हैं।

36ख. संरक्षण आरक्षिति प्रबंध समिति-- (1) राज्य सरकार, संरक्षण आरक्षिति के संरक्षण प्रबंधन और उसका रखरखाव करने में मुख्य वन जीव संरक्षक को सलाह देने के लिए संरक्षण आरक्षिति प्रबंध समिति का गठन करेगी।

(2) समिति में वन अथवा वन्यजीव विभाग का एक प्रतिनिधि जो समिति का सदस्य-सचिव होगा, प्रत्येक ग्राम पंचायत, जिसकी अधिकारिता में आरक्षिती अवस्थित है, का एक प्रतिनिधि, वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठानों के तीन प्रतिनिधित था कृषि और पशुपालन विभागों के एक-एक प्रतिनिधि होंगे।

36ग. सामुदायिक आरक्षिति की घोषणा और प्रबंधक-- (1) राज्य सरकार, एक सामुदायिक आरक्षिति प्रबंध समिति का गठन करेगी जो सामुदायिक आरक्षिति का संरक्षण, रखरखाव तथा प्रबंध करने के लिए जिम्मेदार होगी।

(2) समिति, ग्राम पंचायत द्वारा अथवा जहां ऐसी पंचायत नहीं है वहां ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा, नामनिर्दिष्ट पांच प्रतिनिधियों और राज्य वन विभाग अथवा वन्यजीव विभाग जिसकी अधिकारिता के अधीन सामुदायिक आरक्षिति अवस्थित है, के एक प्रतिनिधि, से मिलकर बनेगी।

(3) समिति, समुदाय आरक्षिति के लिए प्रबंध योजना तैयार करने और उसके क्रियान्वित करने तथा आरक्षिति में वन्य जीवों और उनके आवासों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगी।

(4) समिति, एक अध्यक्ष का चयन करेगी जो सामुदायिक आरक्षिति का अवैतनिक वन्यजीव संरक्षक भी होगा।

(5) समिति अपनी स्वयं की प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत गणपूर्ति भी है, विनियमित करेगी।

निषिद्ध क्षेत्र

37. [निरसित]

केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उपवन

***38. क्षेत्रों को अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उपवन घाषित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति--** (1) जहां राज्य सरकार अपने नियंत्राणाधीन कोई क्षेत्र, जो किसी अभ्यारण्य के भीतर का क्षेत्रनहीं है केन्द्रीय सरकार को पट्टे पर दे देती है या अन्यथा अन्तरित कर देती है वहां यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि धारा 18 में विनिर्दिष्ट शर्तें उसे इस प्रकार अन्तरित किए गए क्षेत्र के बारे में पूरी कर दी गई हैं तो वह अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित करसकेगी और धारा 18 से धारा 35 (जिसमें ये दोनों धाराएं भी सम्मिलित हैं), धारा 54 और धारा 55 के उपबंध ऐसे अभ्यारण्स के बारे में वैसे ही लागे होंगे जैसे वे राज्य सरकार द्वारा घोषित किसी अभ्यारण्य के बारे में लागू होते हैं।

(2) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि धारा 35 में विनिर्दिष्ट शर्तें उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र के बारे में, चाहे ऐसा क्षेत्र केनद्रीय सरकारया राज्य सरकार द्वारा अभ्यारण्य घोषित किया गया है या नहीं, पूरी हो गई है तो वह अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र को राष्ट्रीय उपवन घोषित कर सकेगी और

धारा 35, धारा 54 और धारा 55 के उपबंध ऐसी राष्ट्रीय उपवन के बारे में वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे राज्य सरकार द्वारा घोषित किसी राष्ट्रीय उपवन के बारे में लागू होते हैं।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित किसी भी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उपवन के बारे में उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट धाराओं के अधीन मुख्य वन्यजीव संरक्षक की शक्तियों और कत्र्तव्यों का प्रयोग और निर्वहन निदेशक द्वारा या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जो निदेशक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, किया जाएगा ता पूर्वोत्त धाराओं में राज्य सरकार के प्रति निदेशों का यह अर्थ लगाया जागा कि वे केन्द्रीय सरकार के प्रति निदेश हैं तथा उनमें राज्य के विधान-मण्डल के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह संसद के प्रति निर्देश हैं।

अध्याय 4क

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और चिड़ियाघरों को मान्यता

38क. केन्द्रीय चिड़ियाघर का गठन-- (1) अध्यक्ष और सदस्य-सचिव से भिन्न प्रत्येक सदस्य तीव वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें।

(2) अध्यक्ष या कोई सदस्य, केन्द्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य का पद त्याग सकेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार, किसी व्यक्ति को उपधारा (2) में निर्दिष्ट अध्यक्ष या किसी सदस्य के पद से हटा देगी यदि वह व्यक्ति--

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है;

(ख) ऐसी किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है और कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में, नैतिक अधमता अन्तग्रस्त है;

(ग) विकृतचित हो जाता है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया जाता है;

(घ) कार्य करने से इंकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है;

(ड) प्राधिकरण से अनुपस्थित रहने की इजाजत लिए बिना प्राधिकरण के लगातार तीन अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है; या

(च) केन्द्रीय सरकार की राय में उसने अध्यक्ष या सदस्य के पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उस व्यक्ति का पद पर बने रहना लोक हित के लिए अहित कर हैः

परन्तु इस खण्ड के अधीन किसी व्यक्ति को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को इस विषय में सुनवाई का उचित अवसर नहीं दे दिया गया है।

(4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा होने वाली रिक्ति नए सिरे से नियुक्ति करके भरी जाएगी।

(5) प्राधिकरण के अध्यक्ष, सदस्यों और सदस्य-सचिव के वेतन और भत्ते तथा उनकी नियुक्ति की अन्य शर्तें वे होगी जो विहित की जाएं।

(6) प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का नियोजित करेगा, जो वह प्राधिकरण के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए, आवश्यक समझे।

(7) प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें वे होगी जो विहित की जाएं।

(8) प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी या अविधिमान्य नहीं होगी कि प्राधिकरण के गठन में कोई रिक्ति या त्राुटि है।

38ग. प्राधिकरण के कृत्य-- प्राधिकरण निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:-

(क) किसी चिड़ियाघर में रखे गए प्राणियों के आवास, अनुरक्षक और चिकित्सीय देखभालके लिए न्यूनतम मानक विनिर्दिष्ट करना'

(ख) ऐसे मानकों या मापदंडों की बाबत जो विहित किए जाए, चिड़ियाघरों के कार्यकरण का मूल्यांकन और निर्धारण करना;

(ग) चिड़ियाघरों को मान्यता देना या उनकी मान्यता वापस लेना;

(घ) बंदी रुप से प्रजनन के प्रयोजनों के लिये वन्यप्राणियों की संकटापन्न जातियों का पता लगाना और इस संबंध में किसी चिड़ियाघर को उत्तरदायित्व सौंपना;

(ड) प्रजनन के प्रयोजन के लिए प्राणियों के अर्जनख् आदान-प्रदान और उधार पर लेने-देने का समन्वय करना;

(च) बंदी रुप से प्रजनित वन्यप्राणी की संकटापन्न जातियों की अध्ययन पुस्तिकाओं को बनाए रखना सुनिश्चित करना;

(छ) किसी चिड़ियाघर में बंदी प्राणियों के प्रदर्शन की बाबत पूर्विकताओं और विषय वस्तुओं का पता लगाना;

(ज) भारत में और भारत के बाहर चिड़ियाघर के कार्मिकों के प्रशिक्षण का समन्वय करना;

(झ) चिडियाघरों के वैज्ञानिक आधार पर उचित प्रबंध और विकास के लिए, उन्हें तकनीकी और अन्य सहायता प्रदान करना;

(ञ) चिडियाघरों के वैज्ञानिक आधार पर उचित प्रबंध और विकास के लिए, उन्हें तकनीकी और अन्य सहायता प्रदान करना;

(ट) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो चिड़ियाघरों के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

38 घ. प्रक्रिया का प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाना--(1) प्राधिकरण का, जब कभी आवश्यक हो, अधिवेशन होगा और अधिवेशन ऐसे समय तथा स्थान पर होगा जो अध्यक्ष ठीक समझे।

(2) प्राधिकरण अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा।

(3) प्राधिकरण के सभी आदेश और विनिश्चय सदस्य-सचिव द्वारा या इस निमित्त सदस्य-सचिव द्वारा सम्यक् रुप से प्राधिकृत प्राधिकरण के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाऐंग।

38 ड. प्राधिकरण को अनुदान और उधार तथा निधि का गठन-- (1) केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त संसद द्वारा विधि द्वारा किए गए सम्यक विनियोग के पश्चात् प्राधिकरण को अनुदान और ऋण की उतनी धनराशि दे सकेगा जो वह सरकार आवश्क समझे।

(2) केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण निधि के नाम से ज्ञात एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकरण को दिए गए किन्हीं अनुदानों और ऋणों, प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राप्त सभी फीसों और प्रभारों तथा प्राधिकरण द्वारा ऐसे अन्य स्त्रोत से, जो केघ्न्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएं, प्राप्त राशियों को जमा किया जाएगा।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट निधि का उपयोजन प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वतन, भत्तों तथा अन्य पारिश्रमिक को चुकाने और इस अध्याय के अधीन प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन में उसके खर्चों और इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों के खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

(4) प्राधिकरण उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख बनाए रखेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रारुप में तैयार करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भार के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए ।

(5) प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अन्तरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए और ऐसी संरपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय प्राधिकरण द्वारा नियत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(6) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार तथा विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे ।

(7) नियंत्रक- महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित प्राधिकरण के लेखे, उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ प्राधिकरण द्वारा प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को भेजे जाऐंगे।

38 च. वार्षिक रिपोर्ट-- प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय-वर्ष के लिए ऐसे प्रारुप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का पूर्ण विवरण होगा तथा उसकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजेगा।

38 छ. चिडियाघर को मान्यता--(1) कोई भी चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा मान्यता दिए बिना संचालित नहीं की जाएगाः

परन्तु वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 1991 के प्रारंभ की तारी के ठीक पूर्व संचालति किया जा रहा है कोई भी चिडियाघर ऐसे प्रारंभ की तारीख से अठारह तास की अवधि के लिए मान्यता प्राप्त किए बिना संचालित किया जा सकेगा और यदि मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन उस विध के भीतर किया जाता है तो उस चिडियाघर को उक्त आवेदन के अन्तिम रुप से विनिश्चित किए जाने या वापस लिए जाने तक संचालित किया जा सकेगा और नामंज़ूर किए जाने की दशा में ऐसे नामंज़ूर किए जाने की तारीख से छह मास क और अवधि के लिए संचालित किया जा सकेगा।

(1क) वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 के प्रारंभ को या उसके पश्चात कोई चिडियाघर प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना, स्थापित नहीं किया जाएगा ।

(2) किसी चिडियाघर की मान्यता के लिए प्रत्येक आवेदन प्राधिकरण को ऐसे प्रारुप में और ऐसी फीस के संदाय पर किया जाएगा जो विहित की जाए।

(3) प्रत्येक मान्यता में, ऐसी शर्तें, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट होंगी जिनके अधीन आवेदक चिडियाघर संचालित करेगा।

(4) किसी चिडियाघर को मान्यता तब तक नहीं दी जाएगी जबतक प्राधिकरण का, वन्य जीव के परिरक्षण और संरक्षण के हितों का और ऐसे मानकों, मापदण्डों तथा अन्य बातों का, जो विहित की जाएं सम्यक ध्यान रखते हुए यह समाधान नहीं हो जाता है कि मान्यता दी जानी चाहिए।

(5) किसी चिडियाघर की मान्यता के लिए आवेदन तब तक नामंजूर नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया हो।

(6) प्राधिकरण, ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाऐंगे, उपधारा (4) के अधीन अनुदत्त किसी मान्यता को निलंबित या रद्द कर सकेगाः

परन्तु कोई ऐसा निलंबन या रद्दकरण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक चिडियाघर संचालित करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दे दिया गया हो।

(7) उपधारा (5) के अधीन किसी चिडियाघर को मान्यता देना नामंजूर करने वाले किसी ओदश या उपधारा (6) के अधीन किसी मान्यता को निलंबित या रद्द करने वाले किसी ओदश के विरुद्ध अपील केन्द्रीय सरकार को होगी।

(8) उपधारा (7) के अधीन अपील, आवेदक को उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की जाएगी, संसूचना की जारीख से तीस दिन के भीतर की जाएगीः

परन्तु केन्द्रीय सरकार पूर्वोत्त अवधि की समाप्ति के पश्चात की गई कोई अपील ग्रहण कर सकेगी यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक के पास समय पर अपील न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था।

38झ. किसी चिडियाघर द्वारा प्राणियों का अर्जन-- (1) इस धिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई भी चिडयाघर अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट किसी वन्यजीव अथवा बंदी प्राणी का अर्जन, विक्रय या अन्तरण प्राधिकरण की पूर्व अनुज्ञा से ही करेगा, अन्यथा नहीं।

(2) कोई भी चिडियाघर, वन्य प्राधियों अथवा बंदी प्राधियों का अर्जन, विक्रय या अन्तरण किसी मान्यता प्राप्त चिडियाघर से या को करेगा, अन्यथा नहीं।

38ञ. किसी चिडियाघर में तंग करने आदि का प्रतिषेध-- कोई भी व्यक्ति किसी चिडियाघर में किसी प्राणी, को तंग, उत्पीडित नहीं करेगा, उसे क्षति नहीं पहुंचाएगा, न ही उसे खिलाएगा अथवा शोर करके या अन्यथा प्राणियों का विक्षुब्ध नहीं करेगा या भूमि को अव्यवस्थित नहीं करेगा।

अध्याय 4ख: राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

38ट. परिभाषाएं-- इस अध्याय में --

(क) **"राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण"** से धारा 38ठ के अधीन गठित व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ख) **"संचालन समिति"** से धारा 38प के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;

(ग) **"व्याघ्र संरक्षण प्रतिष्ठान"** से धारा 38भ क अधीन स्थापित प्रतिष्ठान अभिप्रेत है;

(घ) **"व्याघ्र आरक्षिति राज्य"** से ऐसा कोई राज्य अभिप्रेत है जिसमें व्याघ्र आरक्षिति है;

(ड) **"व्याघ्र आरक्षिति"** से धारा 38फ के अधीन अधिसूचित क्षेत्र अभिप्रेत है।

38ठ. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राणिकरण का गठन–(1) केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के नाम से ज्ञात एक निकाय (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण कहा गया है), का गठन करेगी जो इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गए कृत्यों का पालन करेगा।

(2) व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण निम्नलिखित सदस्यों से मिलकरबनेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं अर्थात -

(क) पर्यावरण और वन मंत्रालय का भारधाणक मंत्री–अध्यक्ष;

(ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री--उपाध्यक्ष;

(ग) तीन संसद सदस्य, जिनमें से दो लोक सभा द्वारा और एक राज्य सभा द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे;

(घ) आठ विशेषज्ञ या वृत्तिक जिनके पास वन्य जीव संरक्षण और व्याघ्र आरक्षिति में निवास कर रहे व्यक्तियों के कल्याण में विहित अर्हताएं और अनुभव है; जिनमें से कम से कम दो जनजातीय विकास के क्षत्र से होंगे;

(ड) सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय

(च) वन महानिदेशक और विशेष सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय;

(छ) निदेशक, वन्य जीव परिरक्षण, पर्यावरण और वन मंत्रालय

(ज) व्याघ्र आरक्षित राज्यों चक्रानुक्रम से तीन वर्ष के लिए छह मुख्य वन्यजीव संरक्षक;

(झ) विधि और न्याय मंत्रालय से कोई अधिकारी जो संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी की पंक्ति से नीचे का न हो;

(ञ) सचिव, जनजाति मामले मंत्रालय;

(ट) सचिव, सामाजिक न्या और अधिकारिता मंत्रालय;

(ठ) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग;

(ड) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग;

(ढ) सचिव, पंचायती राज्य मंत्रालय;

(ण) वन महानिरीक्षक या समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी जिसक पास व्याघ्र आरक्षिति या वन्य प्राणी प्रबंधन में कम-से-कम दस वर्ष का अनुभव हो, जो सदस्य-सचिव होगा।

(3) यह घोषणा की जाती है कि व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के सदस्य का पद उसके धारक को संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने से या होने से निरर्हित नहीं करेगा।

38ड. सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्ते-- (1) धारा 38ठ की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्देशित सदस्य तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेगाः

परन्तु कोई सदस्य केन्द्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार धारा 38ठ की उपधारा (2) के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट किसी सदस्य को उसके पद से हटा देगी यदि वह--

(क) न्यायानिर्णीत दिवालिया है या किसी समय रहा है;

(ख) ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहरा दिया गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है;

(ग) विकृतचित्त है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घाषित कर दिया गया है;

(घ) कार्य करने से इंकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है;

(ड) व्याघ्र संरखण प्राधिकारी से अनुपस्थित रहने की इजाजत लिए बिना उक्त प्राधिकरण के लगातार तीन अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है; या

(च) केन्द्रीय सरकार की राय में अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका उस पर पर बने रहना लोकहित के लिए अहित कर है;

परन्तु इस उपधारा के अधीन किसी सदस्य को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसको उस विषय में सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया गया है।

(3) किसी सदस्य के पद की कोई रिक्ति नए सिरे से नियुक्ति करके भरी जाएगी और ऐसा सदस्य उस सदस्य की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है।

(4) व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा नियुक्ति की अन्य शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं।

(5) व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पपर प्रश्नगत नहीं की जाएगी या अविधिमान्य नहीं होगी कि व्याध्र संरक्षण प्राधिकरण में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि है।

38 ढ. व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी-- व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों का दक्षतापूर्ण निर्वहन करने के लिए ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा, जिन्हें यह आवश्यक समझेः

परन्तु व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के गठन के ठीक पूर्व व्याघ्र परियाजना दिशालय के अधीन पद धारण करने वाले और व्याघ्र परियोजना से संबंधित अधिकारी और कर्मचारी उस तारीख से उक्त प्राधिकरण में उसी अवधि तक या छह मास की अवधि के समाप्त होने तक और उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर पद धारण करते रहेंगे यदि ऐसे कर्मचारी उस प्राधिकरण का कर्मचारी न होने का विकल्प देते हैं।

(2) व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं।

38 ण. व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य-- (1) व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की निम्नलिखित शक्तियां होंगी और निम्नलिखित कृत्यों का निवर्हन करेगा, अर्थातः-

(क) इस अधिनियम की धारा 38 फ की उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई व्याघ्र संरक्षण योजना का अनुमोदन करना;

(ख) रक्षणीय पारिस्थितिकी के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन और निर्धारण तथा व्याघ्र आरखिति में पारिस्थितिकी की भूमि के आरक्षणीय उपयोग जैसे खनन उद्योग और अन्य परियोजनाओं, को अनुज्ञात करना;

(ग) व्याघ्र आरक्षिति के मध्यवर्ती और आंतरिक क्षेत्र में व्याघ्र संरक्षण के लिए समय-समय पर पर्यटन क्रियाकलाप के लिए प्रमाणिक मानक और व्याघ्र परियोजना के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित करना और उनका सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करना;

(घ) राष्ट्रीय उपवन, अभ्यारण्य या व्याघ्र आरक्षिति के बाहर व्याघ्र वाले वन क्षेत्रों में मनुष्य और वन्य प्राणियों के अक्राव और सह-अस्तित्व पर बल देने के लिए कार्यकरण योजना संहिता में प्रबंध के मुख्य क्षेत्र उपायों का उपबंध करना;

(ड) संरक्षण उपयों, जिनके अन्तर्गत भविष्य संरक्षण योजना, व्याघ्र और उसकी प्राकृतिक भक्ष्य प्रजातियों के जीवों की संख्या का प्राक्कलन, आवासियों की प्रास्थिति, रोग निगरानी, मृत्यु दर-सर्वेक्षण, चैकसी करना, अनपेक्षित घटनाओं के संबंध में रिपोर्टों और ऐसे अन्य प्रबंध पहलुओं, जो आवश्यक प्रतीत हैं, जिनके अन्तर्गत भविष्य योजना संरक्षण भी है, के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना;

(च) व्याघ्र, सहज प्रजातियों, भक्ष्य, आवास, संबंधित पारिस्थितिकीय और सामाजिक आर्थिक मानदंडों का अनुमोदन करना, उनके संबंध में अनुसंधान का समन्वय करना और उनकी मानीटरी करना तथा उनका मूल्यांकन करना;

(छ) यह सुनिश्चित करना कि व्याघ्र आरक्षितियां और एक संरक्षित क्षेत्र या व्याघ्र आरक्षिति को, अन्य संरक्षित क्षेत्र या व्याघ्र आरक्षिति से जोड़ने वाले क्षेत्रों के पारिस्थितिकीय आरक्षणीय उपयोगों के लिए लोकहित और व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की सलाह पर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अनुमोदन के सिवाय विचलित नहीं किया गया है;

(ज) केन्द्रीय और राज्य विधियों से सुसंगत निकटस्थ क्षेत्रों में पूर्व अनुमोदित प्रबंध योजनाओं के अनुसार राज्य में जैव विविधता संरक्षण पहलुओं के लिए पारिस्थितिकी के विकास और जनता, की भागीदारी के माध्यम से व्याघ्र आरक्षिति प्रबंधन को सुकर बनाना और उसका समर्थन करना;

(झ) व्याघ्र संरक्षण योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए संकटकालीन सहायता जिसके अन्तर्गत वैज्ञानिक, सूचना प्रौद्योगिकी और विधिक सहायता भी है, सुनिश्चित करना;

(ञ) व्याघ्र आरक्षिति के अधिकारियों और कर्मचारियों को कुशलता के विकास के लिए चलाए जा रहे क्षमता निर्माण के कार्यक्रम को सुकर बनाना; और

(ट) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो व्याघ्रों के संरक्षण और उनके आवास के संबंध में आवश्यक हों।

(2) व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण इस अध्याय के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपने कृत्यों का निर्वहन करते हुए, व्याघ्र आरक्षितियों में व्याघ्र संरक्षण के लिए किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को लिखित में निर्देश दे सकेगा और ऐसा व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी निर्देशों का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा:

परन्तु ऐसा कोई निर्देश स्थानीय लोगें, विशेषकर अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों में विघ्न नहीं डालेगा या उनको प्रभावित नहीं करेगा।

38त. व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विनियमित की जाने वाली प्रक्रिया-- (1) व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण ऐसे समय तथा स्थान पर अधिवेशन करेगा, जो अध्यक्ष प्राधिकरण के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा।

(2) अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा।

(3) व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा।

(4) व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के सभी आदेश और विनिश्चय सदस्य-सचिव द्वारा यह इस निमित सदस्य सचिव द्वारा सम्यक रुप से प्राधिकृत उक्त प्राधिकरण के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

38थ. व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को अनुदान और उधार तथा निधि का गठन--(1) केन्द्रीय सरकार, इस निमित संसद द्वारा, विधि द्वारा किए गये सम्यक विनियोग के पश्चात व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को उतनी धनराशि का अनुदान और उधर दे सकेगी जो वह सरकार आवश्यक समझे।

(2) व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण निधि के नाम से एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा--

(1) केन्द्रीय संरकार द्वारा व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को दिए गए अनुदान और उधार;

(2) इस अधिनियम के अधीन व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की गई सभी फीसें और प्रभार;
और

(3) प्राधिकरण द्वारा ऐसे अन्य स्त्रोंतों से जो, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किये जाये, प्राप्त सभी राशियां।

(3) अपराध (2) निर्दिष्ट निधि का उपयोजन, व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन भत्तों तथा अन्य पारिश्रमिक और इस अध्याय के अधीन व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वाहन में उपगत खर्चों को पूरा करने के लिए किया जायेगा।

38द. व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के लेखा और संपरीक्षा-- (1) व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण उचित लेखों और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रारुप में तैयार करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाये।

(2) व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जायेगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाये और ऐसे संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) भारत का नियंत्रक महालेखापरीक्षक और उसके द्वारा व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा के सबंध में नियुक्त तिथि अन्य व्यक्ति को ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे, जो नियंत्रक महालेखापरीक्षक की साधारणतया सरकारी लेखाओं के संपरीक्षा के

संबंध में है और विशिष्टतया उसे बहियों, लेखाओं, संबंधित व्हाउचरों तथा अन्य दस्तावेजों और कागज पत्रों को पेश किये जाने की मांग करने और प्राधिकरण के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा निमित नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के लेखे, उनके संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ, व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रति वर्ष केन्द्रीय सरकार को भेजे जायेंगे।

38 ध. व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट-- व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये ऐसे प्रारुप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा,जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का पूर्ण विवरण होगा तथा उसकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजेंगे।

38 न. वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट का संसद के समक्ष रखे जाना-- केन्द्रीय सरकार, वार्षिक रिपोर्ट और उसके साथ उनमें अन्तर्विष्ट ऐसी सिफारिशों पर जहां तक वे केन्द्रीय सरकार से संबंधित है, की गई कार्यवाही, ज्ञापन और ऐसी किन्ही सिफारिशों के स्वीकारनकिए जाने के कारणों का, यदि कोई हों और संपरीक्षा रिपोर्ट को, ऐसी रिपोटों के प्राप्त होने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

38 प. संचालन समिति का गठन-- (1) राज्य सरकार, व्याघ्र रेंज राज्यों के भीतर व्याघ्र, सह परभक्षी और भक्ष्य पशुओं के समन्वय, मानिटरी, संरक्षा और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए संचालन समिति का गठन कर सकेगी।

(2) संचालन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं--

(क) मुख्यमंत्री-- अध्यक्ष;

(ख) वन्य जीव का भारसाधक मंत्री-- उपाध्यक्ष;

(ग) उतने सरकारी सदस्य जो पांच से अधिक न हों, जिनके अन्तर्गत व्याघ्र आरक्षिति के दो क्षेत्र निदेशक या राष्ट्रीय उद्यानों का निदेशक भी है, और उनमें से एक राज्य सरकारों के जनजातीय मामलों संबंधित विभागों से होगा;

(घ) तीन विशेषज्ञ या वृत्तिक जिनके पास वन्यजीव संरक्षण में अर्हताएं और अनुभव है; जिसमें से कम से कम एक जनजाति विकास क्षेत्र से होगा;

(ड) राज्य जनजाति सलाहकार परिष से दो सदस्य;

(च) पंचायती राज्य तथा सामाजित न्याय और अधिकारिता के संबंधित राज्य सरकार के विभागों से प्रत्येक से एक प्रतिनिधि;

(छ) राज्य का मुख्य वन्यजीव संरक्षक पदेन सदस्य-सचिव होगा।

38 फ. व्याघ्र संरक्षण योजना-- (1) राज्य सरकार, व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिश पर किसी क्षेत्र को व्याघ्र आरक्षिति के रुप में अधिसूचित करेगी।

(2) इस अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2), धारा 27 की उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 30, धारा 32 तथा धारा 33 के खण्ड (ख) और (ग) के उपबंध यथाशक्य व्याघ्र आरक्षिति के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे किसी अभ्यारण कोलागू होते हैं।

(3) राज्य सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक क्षेत्र के समुचित प्रबंध के लिए व्याघ्र संरक्षण योजना जिसके अन्तर्गत कर्मचारिवृन्द विकास और भिनियोजन योजना भी है, तैयार करेगी जिससे कि निम्नलिखित सुनिश्चित किया जा सके:-

(क) व्याघ्र आरक्षितिका संरक्षण और आवास में प्राकृतिक भक्ष्य-परभक्षी, पारिस्थितितिकी चक्र को विकृत्त किए बिना व्याघ्र सह परभक्षियों और भक्ष्य प्राणियों की व्यवहार्य संख्या के लिए विशिष्ट स्थल आवास निवेश उपलब्ध कराना;

(ख) स्थानीय व्यक्तियों की जीविका संबंधी चिन्ताओं को हल करने कि लिए व्याघ्र आरक्षितियों और एक संरक्षित क्षेत्र या व्याघ्र आरक्षित को एक दूसरे से जोड़ने वाले क्षेत्र में परिस्थिति की उपयुक्त भूमि उपयोग जिससे कि व्याघ्र आरक्षितियों के अभिहित आन्तरिक क्षेत्रों से या अन्य संरक्षित क्षेत्रों के भीतर व्याघ्र जनन आवासों से

वन्यप्राणियों की विस्थापित हो रही संख्या के लिय फैले हुए आवास और गलियारा उपलब्ध कराया जा सके;

(ग) नियमित वनमंडलों और व्याघ्र आरक्षितियों के उन लगे हुए स्थानों की जो व्याघ्र संरक्षण की आवश्यकता से असंगत नहीं है, वन संबंधी क्रियाएं।

(4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार, व्याघ्र संरक्षण योजना तैयार करते समय व्याघ्र वाले वनों या किसी व्याघ्र आरक्षिति में निवास कर रहे व्यक्तियों के लिए कृषि, आजीविका, विकास संबंधी और अन्य हितों को सुनिश्चित करेगी।

स्पष्टीकरण-- इस धारा के प्रयोजनों के लिए "व्याघ्र आरक्षिति" के अन्तर्गत निम्नलिखित है--

(i) उन राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यरण्यों के आंतरिक या संकटमय व्याघ्र आवास क्षेत्रों का जहां वैज्ञानिक और विष्खयपरक मानदंडों के आधार पर स्थापित किया गया है कि ऐसे क्षेत्र व्याघ्र संरक्षणों के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जनजाति या ऐसे अन्य वन निवासियों के अधिकारों पर प्रभाव डाले बिना अक्षत रखा जाना अपेक्षित है और राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के परामर्श से उस रुप में अधिसूचित किया गया है;

(ii) मध्यवर्ती क्षेत्र या उपान्तीय क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जो ऊपर स्पष्टीकरण (i) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार पहचान किए ए और स्थापित किए गए संकटमय व्याघ्र आवास के उपान्तीय या मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, और ऐसे क्षेत्र जहां संकटमय व्याघ्र आवास ही समग्रता और व्याघ्र प्रजातियों के लिए पर्याप्त विचारण को सुनिश्चित करने के लिए निवासियों की सुरक्षा की अपेक्षाकृत कम आश्यकता है और जिसका उद्देश्य वन्यजीव और मानव क्रियाकलाप के बीच स्थानीय व्यक्तियों के जीविकोपार्जन, विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की सम्यक मान्यता के साथ सह अस्तित्व का संवर्धन करना है जिनमें ऐसे क्षेत्रों की सीमाएं संबद्ध ग्राम सभा और स प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के परामर्श से वैधानिक और विषयपरक मानदण्ड के आधार पर अवधारित की जाती है।

(5) पारस्परिक रुप से करार किए गए निबंधों और शर्तों पर, परन्तु ऐसे निबंधन और शर्तें इस उपधारा में अधिकथित अपेक्षाओं को पूरा करती हों, स्वैच्छिक पुनस्र्थापन के लिए उपबंधित के सिवास, व्याघ्र संरक्षण के लिए उन अतिक्रमणीय क्षेत्रों के सृजन के प्रयोजन के लिए ऐसी जनजातियों या वनवासियों को, तब तक पुनर्वासित नहीं किया जाएगा या उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि --

(i) अनुसूचित जनजातियों ओर ऐसे अन्य वनवासियों के भूमि या वन अधिकारों की मान्यता और अधिकारों का अवधारण तथा भूमि या वन अधिकारों के अर्जन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है;

(ii) राज्य सरकार के संबद्ध अभिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों और ऐसे वनवासियों की सहमति से और उस क्षेत्र से परिचित पारिस्थितिकीय और सामाजिक विज्ञानी के परामर्श से यह स्थापित नहीं कर देते हैं कि अनुसूचित जनजातियों और अन्य वनवासियों के क्रियाकलापों या वहां पर उनकी उपस्थिज्ञति से वन्यजीवों पर अपरिवचर्तनीय क्षमि कारित करते के लिए पर्याप्त है और व्याघ्र और उनके युक्तियुक्त विकल्प उपलब्ध नहीं है;

(iii) प्रभावित व्याष्टियों और समुदायों के जीवनयापन के उपबंध करने वाले पुनर्वास या आनुकल्पिक पैकेज तैयार नहीं किए गए हैं और राष्ट्रीय राहत और पुनर्वास नीति में दी गई अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया गया है;

(iv) पुनर्वास कार्यक्रमों के प्रतिसंबद्ध ग्राम सभाओं और प्रभावित व्यक्तियों की अनुप्रमाणित सहमति अभिप्राप्त नहीं कर ली गई है; और

(v) उक्त कार्यक्रम के अधीन पुनर्वास स्थल पर सुविधाएं और भूमि आबंटन उपलब्ध नहीं करा दिए गए हों अन्यथा उनके विद्यमान अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।

38ब. व्याघ्र आरक्षितियों का परिवर्तन और उन्हें अधिसूचना से निकालना-- (1) व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिश और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अनुमोदन के सिवाय व्याघ्र आरक्षिति की सीमाएं परिवर्तित नहीं की जाएंगी।

(2) कोई राज्य सरकार, लोकहित में व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अनुमोदन सिवाय किसी व आरक्षिति को अधिसूचना से नहीं निकालेगी।

38भ. व्याघ संरक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना--(1) राज्य सरकार, राज्य के भीतर व्याघ्र आरक्षिति के लिए व्याघ्र और जैव विविधता के संरक्षण के लिए उनके पबंध को सुकर बनाने और सहायता करने के लिए और ऐसी विकास प्रक्रिया में व्यक्तियों को सम्मिलित करके आर्थिक विकास में पहल करने के लिए व्याघ्र आरक्षिति के लिए व्याघ्र संरक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना करेगी।

(2) व्याघ्र संरक्षण प्रतिष्ठान के, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित उद्देश्य होंगे --

(क) व्याघ्र आरक्षितियों में पारिस्थितिकी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास सुकर बनाना;

(ख) स्थानीय पणधारी समुदाओं को सम्मिलित करके पारिस्थितिकी पर्यटन का संवर्धन करना और व्याघ्र आरक्षितियों में प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षितकरने के लिए सहायता देना;

(ग) ऐसी आस्तियों का सृजन और/या उनके अनुरक्षण को सुकर बनाना जो उक्त उद्देश्यों की पूति के लिए आवश्यक हों;

(घ) उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिष्ठान के क्रियाकलापों के लिए अपेक्षित तकनीकी, वित्तीय, सामाजिक, विधिक और अन्य सहायता प्राप्त करना;

(ड) पणधारी विकास और पारिस्थितिकी पर्यटन के प्रोत्साहन के लिए वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करना और उन्हें जुटाना जिनके अन्तर्गत किसी व्याघ्र आरक्षिति में प्रवेश का पुनः चक्रण और प्राप्त की गई अन्य फीस भी है;

(च) उपर्युक्त संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान पर्यावरणीय शिक्षा और प्रशिक्षण में सहायता देना।

अध्याय 4 ग

व्याघ्र और अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो

38 म. व्याघ्र और अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन-- केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज पत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरों के नाम से ज्ञात एक व्याघ्र और अन्य संकटापन्न प्रजाति अपरध नियंत्रण ब्यूरों का गठन करेगी वह निम्नलिखित से मिलकर बनेगा:-

(क) वन्यजीव संरक्षण निदेशक-पदेन निदेशक;

(ख) पुलिस महानिरीक्षक- अपर निदेशक;

(ग) पुलिस उप महानिरीक्षक- संयुक्त निदेशक;

(घ) वन उप महानिदेशक-संयुक्त निदेशक;

(ड) अपर आयुक्त (सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क)- संयुक्त निदेशक; और

(च) ऐसे अन्य अधिकारी जो इस अधिनियम की धारा 3 और 4 के अधिन आनेवाले अधिकारियें में नियुक्त किये जाऐ।

38 य. वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरों की शक्तियां और कृत्य-- (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधिन रहते हुए, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरों निम्नलिखित की बावत उपाय करेगा:-

(i) संगठित वन्यजीव अपरध क्रिया कलापों से समबंधित आसूचना संग्रहित करना और सम्पादन करना तथा उसके तुरंत कार्यवाही के लिए राज्य और प्रवर्तन अभिकरणों को प्रसारित करना जिससे अपराधियों का पकड़ा जा सके और केन्द्रीय कृत्य वन्यजीव अपराध आंकड़ा बैंक खाता स्थापित किया जा सके;

(ii) इस अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन के संबंध में विभिन्न अधिकारियों, राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकारियों द्वारा सीधे ही या ब्यूरो द्वारा स्थापित प्रादेशिक और सीमा यूनिटों के माध्यम से की गई कार्यवाईयों का समन्वय करना;

(iii) विभिन्न अन्तर्राष्टीय अभिसमयों और प्रोटोकालों की जो इस समय प्रवृत्त हैं या जो भविष्य में भारत द्वारा अनुसमर्थित या स्वीकार की जा सकेंगी, बाध्यताओं का क्रियान्वयन करना;

(iv) वन्यजीव अपराध नियंत्रण के लिये विदेशों में संबंध प्राधिकारियों और संबद्ध अन्तर्राष्ट्री संगठनों के समन्वय और सर्वव्यापी कार्यवाही को सुकर बनाने के लिए सहायता करना;

(v) वन्यजीव अपराध में वैज्ञानिक और वृत्तिक अन्वेशण के लिए अवसंरचना और क्षमता निर्माण में विश्वास करना और वन्यजीव अपराधों से संबंधित अभियोजनों में सफलता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता करना;

(vi) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रशासन रखने वाले वन्यजीव अपराधों से संबंधित मुद्दों पर भारत सरकार को सलाह देना तथा समय-समय सुसंगित नीति और विधियों में अपेक्षित परिवर्तनों का सुझाव देना।

(2) वन्यजीव अपराण नियंत्रण ब्यूरो:-

(i) ऐसी शक्तियों का जो उसे इस अणिनियम की धारा 5 की उपधारा (1), धारा 50 की उपधारा (1) और उपधारा (8) तथा धारा 55 क अधीन प्रत्यायोजित की जाएं; औॅर

(ii) ऐसी अन्य शक्तियों का, जो विहित की जाएं, प्रयोग करेगा)

अध्याय 5

वन्य प्राणियों, प्राणी-वस्तुओं तथा ट्राफियों का व्यापार या वाणिज्य

39. वन्य प्राणियों आदि का सरकार का संपत्ति होना-- (1)(क) पीड़क जन्तु से भिन्न प्रत्येक वन्यप्राणी जिसका धारा 11 या धारा 29 उपधारा (6) के अधीन आखेट किया जाता है या जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन में बंदी स्थिति में रखा जाता है या पैदा होता हैया शिकार किया जाता है अथवा जिसे तृत पाया जाता है या जिसका भूल से वध कर दिया जाता है; और

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी वन्यप्रणी से, जिसके संबंध में कोे अपराध इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के विरुद्ध किया गया है व्युत्पन्न प्रत्येक प्राणी-वस्तु, ट्राफी या असंसाधित ट्राफी या मांस;

(ग) भारत में आयातित हाथीदांत और ऐसे हाथीदांत से बनी कोई वस्तु जिसकी बाबत इस अधिनियम या उसके अधीन बना गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपराध किया गया है;

(घ) यान, जलयान, आयुध, फांसा या औजार जिसका प्रयोग अपराध करने के लिए किया गया है और जिसका इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अभिहण किया गया है;

राज्य सरकार की संपत्ति होगा और जहां ऐसे प्राणी का, केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित किस अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उपवन में आदखेट किया जाता है वहां ऐसा प्राणी या ऐसे प्राणी से व्युत्पन्न कोई प्राणी-वस्तु, ट्राफी, असंसाधित ट्राफी या मांस या ऐसे आखेट में प्रयुक्त कोई यान, जलयान, आयुध, फांसा या औजार केन्द्रीय सरकार की संपत्ति होगा।

(2) कोई व्यक्ति जो किसी भी प्रकार से सरकारी संपत्ति का कब्जा अभिप्राप्त करना है, ऐसा कब्जा अभिप्राप्त करने से अड़तालीस घंटों के भीतर ऐसे कब्जे की रिपोर्ट निकटतम थाने के भार साधक अधिकारी या ऐसे प्राधिकृत अधिकारी के हवाले कर देगा।

(क) अर्जित नहीं करेगा, अपने कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में नहीं रखेगा;

(ख) किसी व्यक्ति को दान के तौर पर, विक्रय द्वारा या अन्यथा अन्तरित नहीं करेगा; या

(ग) नष्ट नहीं करेगा या उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा।

40. घोषणाएं-- (1) प्रत्येक व्यक्ति जिसके नियंत्रण अभिरक्षा या कब्जे में इस अधिनियम के प्रारंभ पर अनुसूची 1 या अनुसूची 2 के भाग 2 में विनिर्दिष्ट कोई बंदी प्राणी या ऐसे प्राणी से व्युत्पन्न कोई प्राणी वस्तु, ट्राफी या असंसाधित ट्राफी या एसे प्राणी की नमक लगाई गई या सुखाई गई चालें या कस्तुरी मृग, कस्तूरी या गैंडे के सींग हैं, वह इस अधिनियम के प्रारंभ से तीस दिन के भीतर प्राणी या ऊपर बताई गई प्रकार की वस्तु की, जो उसके नियंत्रण, अभरक्षा या कब्जे में है, संख्या और वर्णन तथा वह स्थान जहां ऐसा प्राणी या वस्तु रखी गई है, मुख्य वन्य जीव संरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी को घोषित करेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात अनुसूची 1 या अनुसूची 2 के भाग 2 में विनिर्दिष्ट किसी प्राणी का या ऐसे प्राणी से व्युत्पन्न किसी असंसाधित ट्राफी असंसाधित ट्राफी या मांस को या ऐसे प्राणी की नमक लगाई गई या सुखाई गई खालों को या कस्तुरी मृग की कस्तूरी को या गैंडे के सींग को, मुख्य वन्यजीव संरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा से ही अर्जित करेगा, प्राप्त करेगा, अपने नियंत्रण, अभिरक्षा या कब्जे में रखेगा, उसका विक्रय करेगा, उसे विक्रय के लिए प्रस्थापित करेगा या उसका अन्यथा अन्तरण करेगा या उसके परिवहित करेगा अन्यथा नहीं।

(2क) ऐसे व्यक्ति से, जिसके पास स्वामित्व प्रमाण पत्र है भिन्न कोई व्यक्ति, वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 के प्रारंभ के पश्चात अनुसूची 1 अथवा अनुसूची 2 के भाग 2 में निविर्दिष्ट किसी बंदी प्राणी, प्राणी-वस्तु या असंसाधित ट्राफी को, उत्तराधिकार के रुप में अर्जित करेगा, प्राप्त करेगा, अपने नियंत्रण, अभिरक्षा या कब्जे में खेगा, अन्यथा नहीं।

(2ख) उपधारा (2क) के अधीन किसी बंदी प्राणी, प्राणी वस्तु, ट्राफी अथवा असंसाधित ट्राफी को उत्तराधिकार में प्राप्त करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे उत्तराधिकार के नब्बे दिनों के भीतर मुख्य वन्यजीव

संरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी के पास घोषणा करेगा और धारा 41 और धारा 42 के उपबंध ऐसे लागू होंगे मानो घोषणा धारा 40 की उपधारा(1) के अधीन की गई थीः

परन्तु उपधारा (2क) और उपधारा (2ख) की कोई बात जीवित हाथी को लगू नहीं होगी।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) की कोई बात धारा 28झ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी मान्यता प्राप्त चिडियाघर को या किसी लोग संग्रहालय कोलागू नहीं होगी।

(4) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेग कि वह अनुसूची 1 या अनुसूची 2 के भा 2 में विनिर्दिष्ट किसी प्राणी से व्युत्पन्न (कस्तूरी मृग या कस्तूरी या गैंडे के सींग से भिन्न) किसीप्राणी या प्राणी वस्तु या ट्राफी या नमक लगाई या सुखाई गई खालों को जो उसके, नियंत्रण, अभिरक्षा या कब्जे में है ऐसे प्रारुप में, ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, मुख्य वन्य जीव संरक्षकया प्राधिकृत अधिकारी को घोषित करे।

40क. कतिपय दशाओं में उन्मुक्ति-- (1) इस अधिनियम की धारा 40की उपधारा (2) और उपधारा (4) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति से उसके नियंत्रण, अभिरक्षा या कब्जे में अनुसची 1 या अनुसूची 2 के भाग 2 में विनिर्दिष्ट किसी बंदी प्राणी, प्राधियों से व्युत्पन्न प्राणी-वस्तु, ट्राफी या असंसाधित ट्राफी की, जिसकी बाबात धारा 40 की उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन कोई घोषणा नहीं की थी, मुख्य वन्यजीव संरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी के पास घोषणा करने की अपेक्षा ऐसे प्रारुप में, ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर कर सकेगी, जैसा विहित किया जाए।

(2) वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 के प्रारंभ से पूर्व किसी भी समय, इस अधिनियम की धारा 40 के अतिक्रमण के लिए की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और सभी लंबित कार्यवाहियों का उपशमन हो जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन घोषित किसी बंदी प्राणी-प्राणी-वस्तु, ट्राफी या असंसाधित ट्राफी पर ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, कार्यवाही की जाएगी।

41. जांच और तालिकाएं तैयार करना-- (1) धारा 40 के अधीन की गई घोषणा के प्राप्त होने पर मुख्य वन्यजीव संरक्षण या प्राधिकृत अधिकारी ऐसी सूचना, ऐसी रीति में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाएख् देने के पश्चात-

(क) धारा 40 निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के परिसरमेंप्रवेश कर सकेगाः

(ख) प्राणी-वस्तुओं, ट्राफियों, असंसाधित ट्राफियों, नमक लगाई गई और सुखाई गई खालों और अनुसूची 1 और मनुसूची 2 के भाग 2 में विनिर्दिष्ट और उन परिसरों में पाए गए बंदी प्राण्यिों की जांच कर सकेगा तथा उनकी तालिकाएं तैयार करसकेगा; और

(ग) प्राणियों, प्राणी-वस्तुओं, ट्राफियों या असंसाधित ट्राफियों पर पहचान चिन्ह ऐसी रीति से लगा सकेगा जो विहित की जाएं।

(2) कोई भी व्यक्ति इस अध्याय में निर्दिष्ट किसी पहचान चिन्ह को न तो मिटाएगा ओर न उसका कूटकरण करेगा।

42. स्वामित्व का प्रमाण-पत्र-- मुख्य वन्यजीव संरक्षक, 40 धारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसी किसी व्यक्ति को, जो उसकी राय में किसी वन्यप्राणी या किी प्राणी-वस्तु, असंसाधित ट्राफी का विधिपूर्ण कब्जा रखता है ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, स्वामित्व का प्रमाण-पत्र जारी कर सको और जहां संभव हो ऐसी प्राणी-वस्तु, ट्राफी या असंसाधित ट्राफी को उसकी पहचान के प्रयोजनार्थ विहित रीति से चिन्हित कर सकेगाः

परन्तु किसी बंदीप्राणी के संबंध में स्वामित्व का प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व, मुख्य वन्यजीव संरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदक के पास उस प्राणी के आवासन, उसका रखरखाव करने तथा उसकी देखभाल कनरने की पर्याप्त सुख-सुविधाएं हैं।

43. प्राणी, आदि के अंतरण का विनियमन-- (1) कोई भी व्यक्ति, जिसके कब्जे में ऐसा बन्दी प्राणी, प्राणी-वस्तु, ट्राफी अथवा संसाधित ट्राफी है, जिसके संबंध में उसके पास स्वामित्व प्रमाण पत्र है, ऐसी प्राणी अथवा प्राणी-वस्तु, ट्राफी अथवा असंसाधित ट्राफी अथवा असंसाधित ट्राफी का विक्रय या विक्रय की प्रस्थापना के रुप में या वाणिज्यिक प्रकृति के प्रतिफल के किसी अन्ल्य ढंग से कोई अन्तरण नहीं करेगा।

(2) जहां कोई व्यक्ति, किसी ऐसे प्राणी, प्राणी-वस्तु, ट्राफी या असंसाधित ट्राफी की जिसके संबंध में उसके स्वामित्व प्रमाणपत्र है, उस राज्य में जिसमें वह रहता है, अन्य राज्य को अन्तरित अथवा परिवहित

करता है अथवा राज्य के बाहर से अन्तरण द्वारा अर्जित करता है, वहां वह अन्तरण या परिवहन के तीस दिनों के भीतर उस अंतरण या परिवहन की रिपोर्ट मुख्य वन्य जीव संरक्षक अथवा प्राधिकृत अधिकारी को देगा, जिसकी अधिकारिता के भीतर वह अंतरण अथवा परिवहन किया जाता है।

(3) इस धारा की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी:-

(क) मोर की पूंछ के पंख और प्राणी-वस्तु या उनसे बनाई गई ट्राफियाँ;

(ख) धारा 38झ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बन्दी प्राणियों का मान्यता प्राप्त चिडियाघरों के बीच अन्तरण और चिडियाघरों और लोक संग्रहालकों के बीच अन्तरण।

44. अनुज्ञप्ति के बिना ट्राफी और प्राणी वस्तुओं के व्यवहार का प्रतिषिद्ध होना-- (1) अध्याय 5क के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति, उपधारा (4) के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति के अधीन और उसके अनुसरण में हो --

(क) निम्नलिखित रुप में कारबार प्रारंभ करेगा चलाएगाः-

(i) किसी प्राणी-वस्तु विनिर्माता या उसका ब्यौहारी; या

(ii) चर्म पूरक; या

(iii) ट्राफी या असंसाधित ट्राफी का ब्यौहारी; या

(iv) बंदी प्राणियों का व्यौहारी; या

(v) मांच का व्यौहारी; या

(ख) किसी भोजनालय में मांस पकाएगा या परोसेगा, अन्यथा नहीं;

(ग) सर्प विषय व्युत्पन्न करेगा, उसका संग्रहण करेगा या उसे तैयार करेगा अथवा उसका व्यौहार करेगाः

परन्तु इस धारा की कोई बात किसी व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पहले इस उपधारा में वर्णित कारबार या उपजीविका चला रहा था, ऐसे प्रारंभ को, जो इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पहले इस उपधारा में वर्णित कारबार या उपजीविका चला रहा था, ऐसे प्रारंभ से तीस दिन की अवधि तक या जहां उसने अपने को अनुज्ञप्ति किए जाने के लिए उस अवधि के भीतर आवेदन कर दिया है वहां उस समय तक जब तक कि उस अनुज्ञप्ति नहीं दी जाती है या उसे लिखित रुप में यह सूचित नहीं कर दिया जाता है कि उसे अनुज्ञप्ति नहीं दी सकती, ऐसा कारबार या उपजीविका चलाने से निवारित नहीं करेगीः

परन्तु यह और कि इस उपधारा की कोई बात मोर के पूंछ वाले पंखों और उससे बनी वस्तुओं के व्यौरियों तथा ऐसी वस्तुओं के विनिर्माताओं को लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण-- इस धारा के प्रयोजनों के लिए "भोजनालय" के अन्तर्गत होगटल, रेस्तरांत या अन्य ऐसा स्थान है जहां कि कोई खाद्य वस्तु संदाय करने पर परोसी जाती है, चाहे ऐसा संदाय ऐस खाद्य वस्तु के लिए अलग से किया गया है या वह भोजन और आवास के लिए प्रभारित राशि में सम्मिलित है।

(2) प्राणी-वस्तुओं का प्रत्येक विनिर्माता या व्यौहारी या बंदी प्राण्यिों, ट्रफियों या असंसाधित ट्राफियों का व्यौहारी, या प्रत्येक चर्म पूरक स अधिनियम के प्रारंभ से पन्द्रह दिन के भीतर, यथा स्थिति प्राणी-वस्तुओं, बंदी प्राणियों, ट्राफियों और असंसाधित ट्राफियों के अपने वे स्टाक मुख्य वन्यजीव संरक्षक को घोषित करेगा जो ऐसी घोषणा की तारीख को हों और मुख्य वन्य जीव संरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी, यथा स्थिति, प्रत्येक प्राणी वस्तु, बंदी प्राणी, ट्राफी या असंसाधित ट्राफी पर पहचान चिन्ह लगा सकेगा।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति जिसका आशय अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करना है, अनुज्ञप्ति किए जाने के लिए मुख्य वन्यजीव संरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन करेगा।

(4) (क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन मुख्य वन्यजीव संरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी को ऐसे प्रारुप और ऐसी फीस का संदाय करके किया जाएगा जो विहित की जाए

(ख) उपधारा (1) मे निर्दिष्ट कोई भी अनुज्ञप्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि मुख्य वन्य जीव संरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी का, आवेदक के पूर्ववृत्तो औरपनूर्व अनुभव को, उन विवक्षाओं को, जो ऐसी अनुज्ञप्ति के लिए जाने से वन्यजीव की प्रास्थिति पर होंगी और ऐसे अन्य विषयों को, जा इस निमित्त विहित किए जाएं, ध्यान में रखते हुए और उन विषयों की बाबत ऐसी जांच करने के पश्चात, जो वह ठीक समझे, यह समाधान नहीं हो जाता है कि अनुज्ञप्ति दी जानी चाहिए।

(5) इस धारा के अधीन दी गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति में वे परिसर जिनमें और वे शर्तें, यदि कोई हो, जिनके अधीन रहते हुए अनुज्ञाप्तिधारी अपना कारबार करेगा निविर्दिष्ट होगी।

(6) इस धारा के अधीन दी गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति --

(क) उसके दिए जाने की तारीख ऐ एक वष के लिए विधिमान्य होगी;

(ख) अन्तरणीय नहीं होगी; और

(ग) एक समय में एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए नवीकरणीय नहीं होगी।

(7) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए कोई आवेदनतक तक नामंजूर नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी अनुज्ञप्ति के धारक को अपना मामला प्रस्तुत करने या युक्तियुक्त अवसर नहीं दी दिया गया है और जब तक कि मुख्य वन्यजीव संरक्षक या प्राधिकृत अधिकरी का यह समाधान नीं हो जाता है कि:-

(i) ऐसे नवीकरण के लिए आवेदन उसके लिए विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात किया गया है;

या

(ii) अनुज्ञप्ति के दिए जाने या नवीकरण के समय आवेदक द्वारा किया गया कोई कथन गलत था या उसका महत्वपूर्ण अंश मिथ्या था, या

(iii) आवेदक ने अनुज्ञप्ति के किसी निबंधन या र्श का या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाऐ गए किसी नियम के उपबंध का उल्लंघन किया है, या

(iv) आवेदक के लिए जाने जाने नवीकरण के आवेदन का मंजूर या खारिज करने वाला प्रत्येक आदेश लिखित रुप में किया जाएगा।

(9) पूर्वोत्त उपधाराओं की कोई भी बात पीड़क जन्तू के संबंध में लागू नहीं होगी ।

45. अनुज्ञप्तियों का निलंबित या रद्द किया जाना-- राज्य सरकार के किसी साधारण या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, मुख्य वन्यजीव संरक्षक या प्राधिकृत अधिकरी धारा 44 के अधीन दी गई या नवीकृत किसी अनुज्ञप्ति को, ऐसे कारणों से,जिन्हें वह लेखबद्ध करेगा, निलंबित या रद्द कर सकेगाः

परन्तु अनुज्ञप्ति के धारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना ऐसेा कोई निलंबन या रद्दकरण नहीं किया जाएगा।

46. अपील -- (10) धारा 44 क अधीन अनुज्ञप्ति दिए जाने या उसका नवीकरण करने से इंकार करने वालेया 45 के अधीन अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द करने वाले आदेश से अपीलः-

(क) यदि आदेश, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया गया है तो मुख्य वन्यजीव संरक्षक को; या

(ख) यदि ओदश मुख्य वन्यजीव संरक्षक द्वारा किया गया है तो राज्य सरकार को, होगी।

(2) उपधारा (1) खण्ड (क) के अधीन अपील में मुख्य वन्यजीव संरक्षक द्वारा पारित आदेश की दशा में द्वितीय अपील राज्य सरकार को होगी।

(3) पूर्वोत्त बातों के अधीन रहते हुए इस धारा के अधीन की गई अपील में पारित प्रत्येक आदेश अंतिम होगा।

(4) इस धारा के अधीन अपील उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, आवेदन को संसूचना की जारीख से तीस दिन के भीतर की जाएगीः

परन्तु यदि अपील प्राधिकरण का यह समाधानहो जाता है कि अपीलार्थी के पास समय से अपील न करने का प्र्याप्त हेतुक था तो वह पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात की गई किसी अपील को ग्रहण् कर सकेग।

47. अभिलेखें का रखा जाना-- इस अध्याय के अधीन अनुज्ञप्तिधारी --

(क) अभिलेख रखेगा और अपने व्यवहार की ऐसी विवरणियां निम्नलिखित को देगा जो विहित की जाएं --

(i) निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, और

(ii) मुख्य वन्य जीव संरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी, और

(ख) ऐसे अधिकारियों द्वारा निरीक्षण क लिए मांग किए जाने पर ऐसे अभिलेख उपलब्ध करेगा।

48. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राणी आदि का क्रय-- इस अधयाय के अधीन कोई भी अनुज्ञप्तिधारी ऐसे नियमों के, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए जाएं, अनुसार ही--

(क) अपने नियंत्रण, अभिरक्षा या कब्जे में --

(i) किसी ऐसे प्राणी, प्राणी-वस्तु, ट्राफी या असंसाधित ट्राफी की, जिसके बारे में धारा 44 की उपधारी (2) के उपबंधों के अधीन घोषणा की जानी है किन्तु घोषणा की नहीं गई है;

(ii) किसी ऐसी प्राणी-वस्तु, असंसाधित ट्राफी या मांस को, जो इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के उपबंधों के अधीन विधिपूर्वक अर्जित नहीं किय गया है,

(ख) (i) किसी वन्य प्राणी को पकड़ेगा, या

(ii) अनुसूची 1 या अनुसूची 2 के भाग 2 में विनिर्दिष्ट किसी बंदी प्राणी या उससे व्युत्पन्न किसी प्राणी-वस्तु, ट्राफी असंसाधित ट्राफी या मांस को अजित करेगा, प्राप्त करेगा, अपने नियंत्रण, अभिरक्षा या कब्जे में रखेगा, या उसका विक्रय करेगा, उसके विक्रय की प्रस्थापना करेगा या उसका परिवहन करेगा, या ऐसे मांस को परोसेगा या उस पर चर्म पूरण की प्रक्रिया करेगा या उससे कोई प्राणी-वस्तु जिसमें ऐसा पूरा प्राणी या उसका कोई भाग हो, बनाएगा, अन्यथा नहीं :

परन्तु जहां ऐसे प्राणी या प्रणी-वस्तु, ट्राफी या असंसाधित ट्राफी का अर्जन या कब्जा, नियंत्रण या अभिरक्षा एक राज्य से दूसरे राज्य को उसका अन्तरण या परिवहन आवश्यक बना देती है वहां ऐसा अन्तरण या परिवहन निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की पूर्व लिखित अनुज्ञा से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीः

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परन्तुक के अधीन कोई भी ऐसी अनुज्ञा तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि दिशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि पूर्वोत्त प्राणी या प्राणी-वस्तु विधिपूर्वक अर्जित की गई है।

48क. वन्यजीव के परिवहन पर निर्बधन-- कोई व्यक्ति (पीड़क-जन्तु से भिन्न्) कोई वन्यप्राणी या कोई प्राणी वस्तु या कोई विनिर्दिष्ट पादप या उसके भाग या व्युत्पन्नी, पहरवनि के लिए, यह अभिनिश्चित करने के लिए सम्पयक सावधानी बरतने के पश्चात ही मुख्य जीव संरक्षक या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकरी से ऐसे परिहवन के लिए अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई है, स्वीकार करेगा, अन्यथा नहीं।

49. अनुज्ञाप्तिधारी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बंदी प्राणी का क्रय-- कोई भी व्यक्ति, पीडक जन्तु से भिन्न्, किसी बन्दी प्राणी, वन्यप्राणी या उससे व्युत्पन्न प्राणी-वस्तु, ट्राफी, असंसाधित ट्राफी या मांस को इस अधिनियम क अधीन उसे विक्रय या अन्यथा अन्तरण करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यौहारी या व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति से क्रय या अर्जित नहीं करेगाः

परन्तु इस धारा की कोई बात धारा 38झ के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी मान्यता प्राप्त चिडियाघर को या किसी लोक संग्रहालय को लागू नहीं होगी।

अध्याय 5क:

कुछ प्राणियों से व्युत्पन्न ट्राफी, प्राणी-वस्तुओं आदि में व्यापार या वाणिज्य का प्रतिषेध

49क. परिभाषाएँ-- इस अध्याय में--

(क) **"अनुसूचित प्रणी"** से अनुसूची 1 में या अनुसूची 2 के भाग 2 में तत्समय विनिर्दिष्ट कोई प्राणी अभिप्रेत है;

(ख) **"अनुसूचित प्राणी-वस्तु"** से किसी अनुसूचित प्राणी से बनाई गई कोई वस्तु अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा वस्तुया पदार्थ है, जिसमें ऐसे पूरे प्राणी या उसके किसी भाग का उपयोग किया गया है किन्तु इसके अन्तर्गत मोर का पूंछ वाला पंख, उससे बनी हुई वस्तु या ट्राफी और सर्प विषय या उसका व्युत्पन्नी नहीं है;

(ग) **"विनिर्दिष्ट तारीख"** से अभिप्रेत है:-

(i) वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 1986 के प्रारंभ पर किसी अनुसूचति प्राणी के संबंध में, ऐसे प्रारंभ से दो मास की समाप्ति की तारीख;

(ii) ऐसे प्रारंभ के पश्चात किसी समय अनुसूची 1 में या अनुसूची 2 के भाग 2 में जोड़े गए या उसको अन्तरित किए गए किसी प्राणी के संबंध में, ऐसे जोड़े या अन्तरित किए जाने से दो मास की समाप्ति की तारीख;

(iii) भारत में आयातित हाथीदांत या ऐसे हाथीदांत से बनी किसी वस्तु के संबंध में वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 1991 के प्रारंभ से छह मास की समाप्ति की तारीख।

49ख. अनुसूचति प्राणियों से व्युत्पन्न ट्राफियों, प्राणी वस्तुओं, आदि में व्यौहार का प्रतिषेध --

(1) इस धारा के अन्य संबंधों के अधीन रहते हुए, विनिर्दिष्ट तारीख को औ उसके पश्चात कोई व्यक्ति-

(क) (i) अनुसूचित प्राणी-वस्तुओं के विनिर्माता या उसके व्यौहारी; या

(iक) भारत में आयमित हाथीदांत या उससे बनी वस्तुओं के व्यौहारी या ऐसी वस्तुओं का विनिर्माता; या

(ii) किसी अनुसूचित प्राणी या ऐसे प्राणी के किसी भाग के संबंध में चर्मपूरक; या

(iii) किसी अनुसूचित प्राणी से व्युत्पन्न ट्राफी या असंसाधित ट्राफी के व्यौहारी; या

(iv) किसी अनुसूचित प्राणी से व्युत्पन्न मांस के व्यौहारी

(v) किसी अनुसूचति प्राणी से व्युत्पन्न मांस के व्यौहारी

के रुपमें कारबार शुरु नहीं करेगा या नहीं चलाएगा; या

(ख) किसी भोजनालय में किसी अनुसूिचित प्राणी व्युत्पन्न मांस नहीं पकाएगा या नहीं परोसेगा।

स्पष्टीकरण-- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "भोजनालय" का वही अर्थ है जो धारा 44 कील उपधारा (1) नीचे के स्पष्टीकरणमें है।

(2) इस धारा के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व धारा 44 के अधीन दी गई या नवीकृत कोई अनुज्ञप्ति, उसके धारक को या किसी अन्य व्यक्ति को इस धारा की उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी कारबार को याउस उपधारा के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट उपजीविका को ऐसी तारीख से पश्चात शुरु करने या चलाने का हकदार नहीं बनाएगी।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा, निर्यात के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में के किसी निगम को (जिसके अन्तर्गत कंपनी अधिनियम,1956 (1956 का 1) की धारा 617 के अर्थ में कोई सरकार कंपनी है) अथवा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के

अधीन रजिस्ट्रीकरण किसी सोसाइटी को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्ण रुप से पर्याप्त रुप से वित्तपोषित है, उपधारा (1) और उपधारा (2) में किसी उपबंधों से छूट दे सकेगी।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु किन्हीं ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाएं, चर्मपूरक के रुप में कारबार चलाने के लिए धारा 44 के अधीन अनुज्ञप्ति धारण करने वाला कोई व्यक्ति, किसी अनुसूचित प्राणी या उसके किसी भाग पर--

(क) सरकार या उपधारा (3) के अधीन छूट प्राप्त किसी निगम या सोसाइटी के लिए या उसकी ओर से; अथवा

(ख) शैक्षिक या वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति के लिए या उसकी ओर से मुख्य वन्यजीव संरक्षक के लिखित पूर्व प्राधिकार से, चर्मपूरण की प्रक्रिया कर सकेगा।

49 ग. व्यौहारी द्वारा घोषणा- (1) धारा 49 ख की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कारबार या उपजीविका चलाने वाला प्रत्येक व्यक्ति, विनिर्दिष्ट तारीख से तीस दिन के भीतर--

(क) (i) अनुसूचित प्राणी-वस्तुओं;
(ii) अनुसूचित प्राणियो और उनके भागो;
(iii) अनुसूचित प्राणियो से व्युत्पन्न ट्राफियों और असंसाधित ट्राफियों;
(iv) बंदी प्राणियें, जो अनुसूची प्राणी हैं,
(v) भारत में आयातित हाथीदांत या उससे बनी वस्तुओं;
के अपने ऐसे स्टाक को, यदि कोई हो,जो विनिर्द्रिष्ट तारीख के अन्त में है;

(ख) उस स्थान या उन स्थानों को, जहां घोषणा में उल्लेखित स्टाक रखे गए हैं; और

(ग) घोषणा में उल्लेखित स्टाक की ऐसी मदों के, यदि कोई हो, वर्णन को जो वह अपने सदभावित वैयक्तिक उपयोग के लिए अपने पास रखना चाहता है, मुख्य वन्य जीव संरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी को घोषित करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन घोषणा के प्राप्त होने पर मुख्य वन्य जीव संरक्षक या प्रधिकृत अधिकारी धारा 4 1 में विनिर्दिष्ट सभी या कोई उपाय करेगा और इस प्रयोजन के लिए धारा 4 1 के उपबंध, जहां तक हो सके, लागू होंगे ।

(3) जहां, उपधारा (1) के अधीन की गई घोषणा में, घोषणा करने वाला व्यक्ति घोषणा में विनिर्दिष्ट स्टाक में से किसी मद को अपने सदभाविक वैयक्तिक उययोग के लिए अपने पास रखना चाहता है वहां मुख्य वन्य जीव संरक्षक, निदेशक के पूर्व अनुमोदन से, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति के पास ऐसी मद का विधिपूर्ण कब्जा है तो, यथास्थिति, ऐसी मद या ऐसी सभी मदों के सबंध में, जो मुख्य वन्यजीव संरक्षक की रसय में ऐसे व्यक्ति सदभावित वैयक्तिक उपयोग के लिए अपेक्षित है, ऐसे व्यक्ति के पक्ष में स्वामित्व का प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा और ऐसी मदों पर पहचान चिन्ह ऐसी रीति से लगा सकेगा, जो विहित की जाएः

परन्तु कोई ऐसी मद किसी वाणिज्यिक परिसर में नहीं रखी जाएगी।

(4) कोई व्यक्ति उपधारा (3) के अधीन स्वामित्व का प्रमाण पत्र देने से किसी इंकार के विरुद्ध अपील होगी और धारा 46 की उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंध, जहां तक हो सके, इस उपधारा के अधीन अपीलों के संबंध में लागू होंगे।

(6) जहां कोई ऐसा व्यक्ति जिसे उपधारा (3) के अधीन किसी मद के संबंध में स्वामित्व का प्रमाण पत्र जारी किया गया है--

(क) दान, विक्रय के रुप में या अन्यथा किसी व्यक्ति को ऐसी मद का अन्तरण करता है; या

(ख) उस राज्य से, जिसमें वह निवास करता है, अन्य राज्य को किसी ऐसी मद का अन्तरण या परिहवन करता है,

वहां वहां ऐसे अन्तरण या परिवहन के तीस दिन के भीतर ऐसे अन्तरण या परिवहन की रिपोर्ट उस मुख्य वन्यजीव संरक्षक यक प्राधिकृत अधिकार को देगा, जिसकी अधिकारिता के भीतर ऐसा अन्तरण या परिवहन किया जाता है ।

(7) ऐसे व्यक्ति से , जिसे उपधारा (3) के अधीन स्वामित्व का प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, भिन्न कोई व्यक्ति विनिर्दिष्ट तारीख को और उसके पश्चात किसी अनुसूचित प्राणी, किसी अनुसूचित प्राणी-वस्तु या भारत में आयातित हाथीदांत या उससे बनी किसी वस्तु को, अपने नियंत्रक के अधीन नहीं रखेगा, उसका किसी व्यक्ति को विक्रय नहीं करेगा अथवा विक्रय के लिए प्रस्थापन नहीं करेगा या अन्तरण नहीं करेगा।

*अध्याय 6

अपराधों का निवारण और पता लगाना

50. प्रवेश, तलाशी, गिरफ्तारी और निरुद्ध करने की शक्ति-- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी यदि निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी या मुख्य वन्यजीव संरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी या किसी वन अधिकारी या किसी पुलिस अधिकारी के जो उन-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के विरुद्ध कोई अपराध किया है तो वह--

(क) ऐसे व्यक्ति से उसके नियंत्रण, अभिरक्षा या कब्जे में किसी बन्दी प्राणी, वन्यप्राणी, प्राणी-वस्तु, मांस, ट्राफी, विनिर्दिष्ट पादप याउसका भाग या व्युत्पन्नी अथवा इस अधिनियम केअधीन दी गई या उसके द्वारा रखे जाने के लिए अपेक्षित किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या अन्य दस्तावेजों को निरीक्षण के लिए पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा;

(ख) किसी यान या जलयान की तलाशी लेने या जांच करने के लिए उसे रोक सकेगा या ऐसे व्यक्ति को अधिभाग में किसी परिसर, भूमि, यान, या जलयान में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा तथा उसके कब्जे में सामान या अन्य वस्तुओं को खोल सकेगा और उनकी तलाशी ले सकेगा;

(ग) किसी व्यक्ति के कब्जे में के किसी बंदी प्राणी, वन्यप्राणी, प्राणी-वस्तु,मांस, ट्राफी या असंसाधित ट्राफी या किसी विनिर्दिष्ट पादप या उयके भाग या, वस्तुपन्नी को जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है, किसी ऐसे अपराध को किए जाने के लिए प्रयुक्त अधीन कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है, किसी ऐसे अपराध को किए जाने के लिए प्रयुक्त किसी फांसे, औजार, यान, जलयान या आयुध के सहित अभिगृहीत कर सकेगा, और जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति हाजिर होगा और गिरफ्तार कर सकेगा और निरुद्ध कर सकेगाः

परन्तु जहां कोई मछुआरा, जो किसी अभ्यारण्स या राष्ट्रीय या राष्ट्रीय उपवन दस किलोमीटर के भीतर निवास करता है, किसी ऐसी नौका से, जिसका उपयोग वाणिज्यिक मत्स्य उद्योग के लिए नहीं किया जाता है, उस अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उपवन के राज्य क्षेत्रीय सागरखंड में अनवधानता से प्रवेश करता है, वहां ऐसी नौका पर मछली पकड़ने के टेकल या जाल को अभिगृहीत नहीं किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी अधिकारी के लिए वह विधिपूर्ण होगा कि यह किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह कोई ऐसा कार्य करते देखता है जिसके लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र अपेक्षित है, इस प्रयोजन से रोक सकेगा और निरुद्ध कर सकेगा कि वह अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र पेश करे और यदि ऐसा व्यक्ति, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र पेश करने में असफल रहता है तो वह बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकेगा तब तक कि वह अपना नाम औरपता नहीं दे देता है, और उसको गिरफ्तार करने वाले अधिकारी का अन्यथा यह समाधान नहीं करा देता है कि वह किसी समन या अन्य कार्यवाहियों का जो उसके विरुद्ध की जाएं सम्यक रुप से पालन करेगा।

(3क) ऐसा अधिकारी, जो वन्यजीव संरक्षण सहायक निदेशक या सहायक वनाल की पंक्ति से नीचे का न हो, जिसने या जिसके अधीनस्थ ने उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन किसी बंदी प्राणी या वन्य प्राणी को अभिगृहित किया है, किसी व्यक्ति द्वारा उस मजिस्ट्रेट के समक्ष जिसको उस अपराध का विचारण करने की अधिकारिता है, जिसके कारण ऐसा अभिग्रहण किया गया है, ऐसे प्राणी के, जब कभी ऐसी अपेक्षा हो, पेश किए जाने संबंधी बंधपत्र के निष्पादन पर, उसे अभिरक्षा के लिए दे सकेगा।

(4) पूर्वोक्त शक्ति के अधीन निरुद्ध किया गया कोई व्यक्ति या अभिगृहीत की गई कोई वस्तुएं, विधि के अनुसार कार्यवाही किए जाने के लिए मुख्य वन्यजीव संरक्षक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचित करते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष तुरन्त ले जाई जाएगी।

(5) कोई व्यक्ति जो युक्तियुक्त हेतुक के बिना कोई ऐसी वस्तु पेश करने में असफल रहता है जिसे इस धारा के अधीन पेश करने के लिए वह अपेक्षित है, इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा।

(6) जहां इस धारा के उपबंधों के अधीन कोई मांस, अपरिष्कृत ट्रफी, विनिर्दिष्ट पौधा या उसको कोई भाग या व्युत्पन्न अभिगृहीत किया जाता है वहां वन्य जीव संरक्षण सहायक निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत राजपत्रित पंक्ति का कोई अन्य अधिकारी अथवा मुख्य वन्यजीव संरक्षकया प्राधिकृत अधिकारी उनके व्ययन के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकेगा जो विहित की जाए।

(7) जब कभी किसी व्यक्ति से उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई अधिकारी, इस अधिनियम क अधीन अपराध के निवारण या पता लगाने में या ऐसे व्यक्तियों को, जिन पर इस अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप है, पकड़ने में या उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसरण में अभिग्रहण के लिए सहायता करने के लिए अनुरोध करे तब ऐसे व्यक्तियों या व्यक्ति का यह कर्त्तव्य होगा कि वे ऐसी सहायता करें।

(8) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अवधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे अधिकारी को, जो वन्य जीव संरक्षण सहायक निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो या राज्य सरकार इस निमित्त प्राधिकृत ऐसे अधिकारी को जो सहायक वनपाल की पंक्ति से नीचे का न हो, इस अधिनियम के किसी उपबंध के विरुद्ध किसी अपराध का अन्वेषण करने के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शक्तियां होगी -

(क) तलाशी वारंट जारी करना;

(ख) साक्षियों को हाजिर कराना;

(ग) दस्तावेजों और तात्विक पदार्थों के प्रकटीकरण और उनके पेश किए जाने विवश करना; और

(घ) साक्ष्य ग्रहण करना और अभिलिखित कराना।

***51. शास्तियां --** (1) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अध्याय 5क और धारा 38ञ को छोड़कर या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा या जो इस अधिनियम के अधीन दी ई किसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र की शर्तें में से किसी का भंग करेगा, वह इस अधिनियम के विरुद्ध अपराध का दोषी होगा, और दोषसिद्ध पर कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगाः

परन्तु यदि किया गया अपराध अनुसूची 1 में अनुसूचसी 2 के भाग 2 में विनिर्दिष्ट किसी प्राणी या किसी ऐसे प्राणी के मांस या ऐसे प्राणी से व्युत्पन्न प्राणी-वस्तु, ट्राफी या असंसाधित ट्राफी के संबंध में है या यदि अपराध किसी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उपवन में आखेट से संबंधित या किसी अभ्यारण्स या राष्ट्रीय उपवन की सीमाओं में परिवर्तन करने से संबंधित है तो ऐसा अपराध ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगीः

परन्तु यह और कि इस उपधारा में वर्णित पकृति के किसी द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध की दशा में, कारावास की अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना भी होगा, जो पच्चीस हजार रुपए से कम नहीं होगा।

(1क) कोईव्यक्ति, जो अध्याय 5क के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माना से भी, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दण्डनीय होगा।

(1ख) कोई व्यक्ति, जो धारा 38ञ के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माना से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनो से दण्डनीय होगाः

परन्तु किसी द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध की दशा में, कारावास की अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा।

(1ग) कोई व्यक्ति जो व्याघ्र आरक्षिति के आन्तरिक क्षेत्र के संबंध में अपराध केगा या जहां अपराध किसी व्याघ्र आरक्षिति में आचोट या व्याघ्र आरक्षिति की सीमाओं में परिवर्तन करने से संबंधित है वहां ऐसा अपराध प्रथम दोषसिद्धी पर कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना से भी, जो पास हजार रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, और द्वितीय या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से

जिसकी अवधि सातवर्ष से कम नहीं होगी और जुर्माना से भी जो पांच लाख रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो पाच लाख रुपए तक काह हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(1घ) जो कोई उपधारा (1ग) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, यदि दुष्प्रेरित कार्य उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरुप किया जाता है, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित दण्ड से दण्डनीय हेगा।

(2) जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सि0दोष ठहराया जाता है तो अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय आदेश देसकेगा कि कोई बंदी प्राणी, वन्य प्राणी, प्राणी-वस्तु ट्राफी, असंसाधित ट्राफी, मांस, भारत में आयाजित हाथीदांत या ऐसे हाथीदांत से बनी वस्तु, कोई विनिर्दिष्ट पादप या उसका भाग या व्युत्पन्नी जिसके बारे में अपराध किया गया है और उक्त अपराध के करने में प्रयुक्त कोई फांसा, औजार, यान, जलयान या आयुध राज्य सरकार को समपहृत हो जाएगा और यह कि ऐसे व्यक्ति, द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन धारित कोई अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र रद्द कर दिया जाएगा।

(3) अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र का ऐसे रद्दकरण या ऐसा समपहरण किसी ऐसे अन्य अण्ड के अतिरिक्त होगा जो ऐसे अपराध के लिए दिया जाए।

(4) जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के विरुद्ध अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, वहां न्यायालय निर्देश देसकेगा कि वह अनुज्ञप्ति, यदि कोई हो, जो आयुध अधिनियम, 1956 (1956 का 54) के अधीन ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे आयुध का कब्जा रखने के लिए दी गई है जिससे इस अधिनियम के विरुद्ध अधीन दोषसिद्ध की तारीख से पांच वर्ष के लिए, अनुज्ञप्ति का पात्र नहीं होगा।

(5) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) की कोई बात, किसी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उपवन में आखेट करने से संबंधित किसी अपराध या अध्याय 5क के किसी उपबंध के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्धोष ठहराया गए व्यक्ति को तब तक लागू नहीं हेगी जब तक कि ऐसा व्यक्ति अठारह वर्ष की आयु से कम का न हो।

51क. जमानत मंजूर करते समय कतिपय शर्तो का लागू होना-- जहां कोई व्यक्ति, जो अनुसूची 1 या अनुसूची 2 के भाग 2 से संबंधित अपराध या राष्ट्रीय उपवन या वन्यजीव अभ्यारण्यों की सीमाओं के अंदर आखेट से संबंधित कोई अपराध या ऐसे उपवनों और अभ्यारण्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने संबंधी प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति को, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए पहले से ही सिद्धदोष ठहराया गया था, तब तक जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा जब तक --

(क) लोक अभियोजन को निर्मुक्ति का विरोध करने का अवसर नहीं दिया हो, और

(ख) जहां लो अभियोजन आवेदन का विरोध करता है और न्यायालय का समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं किक वह ऐसे अपराध नहीं हैं और यह कि जमानत पर छोड़े जाने पर उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किए जाने की संभावना हैं।

52. प्रयत्न और दुष्प्रेरण-- जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध का या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश का उल्लंघन करने का प्रयत्न या दुष्प्रेरण करेगा उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने याथास्थिति, उस उपबंध या नियम या आदेश का उल्लंघन किया हैं।

53. सदोष अभिग्रहण के लिए दण्ड-- यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति, धारा 50 में वर्णित कारणों से अभिगृहीत करने के बहाने से, उसे तंग करने के लिए और अनावश्यक रुप से, अभिगृहीत करेगा तो वह दोषसिद्धि पर कावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माना से, जो पांस सौ रुपए तक का हो सकेगा,या दोनों से, दण्डनीय होगा।

54. अपराधों का शमन करने की शक्ति-- (1) केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, वन्यजीव परिरक्षण निदेशक या किसी अन्य अधिकारी को जो वन्यजीव परिरक्षण सहायक निदेशक से नीचे की पंक्ति का न हो, और राज्य सरकार के मामले में, इसी प्रकार की रीति से मुख्य वन जीव संरक्षक को या किसी अन्य अधिकारी को जो उपवनपाल से नीचे की पंक्ति का न हो, किसी व्यक्ति से इसके विरुद्ध यह युक्तियुक्त संदेह है कि

उसने इस अधिनियम के विरुद्ध कोई अपराध किया है, उस अपराध के शमन के रुप में जिसकी बाबत यह संदेह है कि वह ऐसे व्यक्ति ने किया है, धन की राशि के संदाय को स्वीकार करने के लिए सशक्त कर सकेगी।

(2) ऐसे अधिकारी को धन की ऐसी राशि का संदाय करने पर संदिग्ध व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में है, उन्मोचित कर दिया जाएगा और अपराध के संबंध में ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई और कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(3) किसी अपराध का शमन करने वाला अधिकारी, अपराधी को इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र के रद्दकरण का आदेश कर सकेगा या यदि ऐसा करने के लिए वह स्वयं सशक्त नहीं है तो ऐसा करना के लिए सशक्त अधिकारी से ऐसा अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र को रद्द करने के लिए अनुरोध कर सकेगा।

(4) उपधारा (1) के अधी, स्वीकार की गई या स्वीकार किए जाने के लिए करार पाई गई धनराशि, किसी भी दशा में, पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी:

परन्तु किसी ऐसे अपराध का, जिसके लिए धारा 51 में कारावास की न्यूनतम अवधि विहित की गई है, शमन नहीं किया जाएगा।

55. अपराधों का संज्ञान-- कोई भी न्यायालय के विरुद्ध किसी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित से भिन्न किसी व्यक्ति के परिवाद पर नहीं करेगा--

(क) वन्यजीव संरक्षण निदेशक या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्रधिकृत कोई अन्य अधिकारी;

या

(कक) अध्याय 4क के उपबंधों के अतिक्रमण से संबंधित मामलों में सदस्य-सचिव, केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण।

(कख) सदस्य-सचिव, व्ययाघ्र संरक्षण प्राधिकरण; या

(कग) संबंधित व्याघ्र आरक्षिति का निदेशक; या

(ख) मुख्य वन्यजीव संरक्षक या राज्य सरकार द्वारा ऐसी शर्तों के साथ जो विनिर्दिष्ट की जाएं इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी; या

(खख) धारा 38ञ के उपबंधों के अतिक्रमण के संबंध में चिडियाघर का भारसाधक अधिकारी; या

(ग) कोई व्यक्ति, जिसने विहित रीति से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पूर्वोक्त रुप से प्राधिकृत अधिकरी को अभिकथित अपराध की और परिवाद करने के अपने आशय की अन्यून साठ दिन की सूचना दी है।

56. अन्य विधियों के प्रवर्तन का वर्जित न होना-- इस अधिनियम की कोई भी बात किसी व्यक्ति को, किसी ऐसे कार्य या लोप के लिए जो इस अधिनियम के अधीन अपराध गठित करता है, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अभियोजित होने से या ऐसी अन्य विधि के अधीन किसी ऐसे दण्ड या शास्ति के, जो इस अधिनियम में उपबंधित दण्ड या शास्ति से अधिक है, दायित्वाधीन होने से निवारित करने वाली नहीं समझी जागी:

परन्तु कोई भी व्यक्ति एक ही अपराध के लिए दो बार दण्डित नहीं किया जएगा।

57. कतिपय मामलों में उपधारा का किया जाना-- जहां इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध क लिए किसी अभियोजन में यह सिद्ध हो जाता है है कि सी व्यक्ति के कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में कोई बंदी प्राणी, प्राणी-वस्तु, मांस, ट्राफी, असंसाधित ट्राफी, विनिर्दिष्ट पादप या उसका भाग या व्युत्पन्नी है, वहां जब तक के तत्प्रतिकूल साबित नहीं हो जाता है और जिसे साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा, यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसा व्यक्ति, ऐसे बन्दी प्राणी, प्राणी-वस्तु, मांस, ट्राफी, असंसाधित ट्राफी, विनिर्दिष्ट पादप या उसका भाग या व्युत्पन्नी का विधि विरुद्ध कब्जा, अभिरक्षा या नियंत्रण रखता है।

58. कम्पनियों द्वारा अपराध --(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी उस अपराध के दोषी समझे जाऐंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे:

परन्तु इस उपधारा की कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराण उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गय है और यह साबित होता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव, या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनाकुकूलता से किया गया है या अपराण का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझ जाएगी और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंउित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण -- इस धारा के प्रयोजनों के लिए -

(क) **"कम्पनी"** से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और ''भागीदार'' अभिप्रेत है।

अध्याय 6 क

अवैध आखेटन और व्यापार से व्युत्पन्न संपत्ति का समपहरण

58 क. लागू होना -- इस अध्याय के उपबंध केवल निम्नलिखित व्यक्तियों को लागू होंगे, अर्थात:-

(क) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन इंडनीय किसी अपराध के लिए तीन वर्ष या इससे अधिक अवधि के कारवास से सिद्धदोष ठहराया गया हो;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट व्यक्ति का प्रत्येक सहयुक्त;

(ग) किसी ऐसी संपत्ति का जो खण्ड (क) अथवा खण्ड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा पहले किसी समय धारित रही हो, धारक (जिसे इसमें इसके पश्चात वर्तमान धारक कहा गया है); जब तक कि, यथास्थिति, वर्तमान धारक या ऐसा व्यक्ति, जिसने ऐसे व्यक्ति के पश्चात और वर्तमान धारक के पूर्व ऐसी संपत्ति धारण की हो, पर्याप्त प्रतिफल के लिए सदभावित रुप से अन्तरिती नहीं है या था।

58 ख. परिभाषाएं-- इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेषित न हो -

(क) **"अपील अधिकरण"** से धारा 58 ढ के अधीन गठित समपहृत सम्पत्ति के अपील अधिकरण अभिप्रेत हैं;

(ख) ऐसे व्यक्ति के संबंध में जिसकी संपत्ति इस अध्याय के अधीन समपहृत की जा सकती है, ''सहयुक्त'' के अन्तर्गत निम्नलिखित है–

(i) कोई व्यक्ति, जो ऐसे व्यक्ति के कार्यों का प्रबंध या उसके हिसाब-किताब का रखरखाव कर रहा था या कर रहा है;

(ii) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अर्थ के अन्तर्गत व्यक्तियों का कोई संगम, व्यष्टियों का निकाय, भागीदारी फर्म या प्राइवेट कम्पनी, जिसका ऐसा व्यक्ति, सदस्य, भागीदार या निदेशक रहा था या है;

(iii) कोई व्यष्टि, जो उपखण्ड (ii) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के किसी संगम, व्यष्टियों के निकाय, भागीदारी फर्म या प्राइवेट कम्पनी का किसी समय सदस्य, भागीदार या निदेशक रहा था या है, जब ऐसा व्यक्ति, ऐसे संगम, निकाय, भागीदारी फर्म या प्राइवेट कम्पनी का सदस्य, भागीदार या निदेशक रहा था या है;

(iv) कोई व्यक्ति, जो उपखण्ड (iii) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के संगम, व्याष्टियों के निकाय, था या कर रहा है;

(v) किसी न्यास का न्यासी, जहां --

(i) ऐसे व्यक्ति, द्वारा न्यास सृजित किया गया है; या

(ii) उस तारीख को जिसको अभिदाय किया जाता है, न्यास राशियों में ऐसे व्यक्ति द्वारा अभिदाय की गई आस्तियों का मूल्य भी सम्मिलित है) जो इस तारीख को न्यास की आस्तियों के मूल्य के बीस प्रतिशत से कम न हो;

(vi) जहां सक्षम प्राधिकारी, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, यह विचार करता है कि ऐसे व्यक्ति कोई संपत्तियां उसकी ओर से किस अन्य व्यक्ति को पास धारित है, वहां ऐसा अन्य व्यक्ति;

(ग) **"सक्षम प्राधिकारी"** से धारा 58 घ के अधीन प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) **"दिपाया जाना"** से संपत्ति के स्वरुप, स्त्रोत, व्ययन, संचलन या स्वामित्व को छिपाना या बदलना अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक पारेषण द्वारा या किन्हीं अन्य साधनों के ऐसी संपत्ति का संचलन या संपरिवर्तन करना भी है;

(ड) **"रोक लगाने"** से धारा 58 च के अधीन जारी ओदश द्वारा संपत्ति क अन्तरण, संपरिवर्तन, व्ययन या संचलन को अस्थायी तौर पर प्रतिष्द्धि करना अभिप्रेत है;

(च) **"पहचान करना"** में सम्मिलित है इस बात का सबूत स्थापित करना कि वह संपत्ति वन्य जीव और उसके उत्पादों के अवैध शिकार और व्यापार से व्युत्पन्न थी या उसमें प्रयोग की गई थी;

(छ) ऐसे व्यक्ति जिसे यह अध्याय लागू होता है, के संबंध में, **"अवैध रुप से अर्जित संपत्ति"** से अभिप्रेत हैं --

(i) ऐसे व्यक्ति द्वारा, अवैध आखेट और वन्यजीव और उसके उत्पादों तथा उनके व्युत्पन्नों के व्यापार से व्युत्पन्न या उनसे अभिप्राप्त या उनके कारण हुई किसी आय, आस्तियों से या उनक माध्यम से पूर्णतः अर्जित कोई संपत्ति;

(ii) ऐसे व्यक्ति द्वारा, किसी प्रतिफल के लिए या किन्ही साधनों द्वारा अर्जित कोई संपत्ति जो पूर्णतः या भागतः उपखण्ड (i) में निर्दिष्ट किसी संपत्ति या ऐसी संपत्ति से आय अथवा उपार्जनों से संबंधित हो,

और इसमें सम्मिलित हैं --

(अ) ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित कोई संपत्ति जो उसके किसी पूर्ववर्ती धारक के संबंध में इस खण्ड के अधीन अवैध रुप से अर्जित संपत्ति होती यदि उक्त पूर्ववर्ती धारक उस धारण करना बन्द न कर देता, जब तक कि ऐसे व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति जिसने उक्त पूर्ववर्ती धारक के पश्चात किसी समय संपत्ति धारित न की हो या जहां दो या अधिक ऐसे पूर्ववर्ती धारक हों, वहां ऐसे पूर्ववर्ती धारकों में से अंतिम धारक सदभावपूर्वक प्रयास प्रतिफल के लिए अंतरिती है या था;

(आ) ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिफल के लिए या किन्ही ऐसे साधनों द्वारा जो पूर्णतः या भागतः मद (क) के अधीन आने वाली अन्य किसी संपत्ति से या उससे आय या उपार्जनों से अर्जित कोई संपत्ति;

(ज) **"संपत्ति"** से अभिप्रेत है प्रत्येक वर्णन की संपत्ति और आस्तियां, चहे मूर्त या या अमूर्त हो, स्थावर या जंगम हो, साकार या निराकार हो और वन्यजीव तथा उसके उत्पादों के अवैध आखेट से व्युत्पन्न ऐसी सम्पत्ति या आस्तियों में हित या उस पर हक के साक्षी विलेख और लिखत;

(झा) **"संबंधी"** से अभिप्रेत हैं--

(1) व्यक्ति का पति या पत्नी;

(2) व्यक्ति का भाई या बहन;

(3) व्यक्ति का पति या पत्नी का भाई या बहन;

(4) व्यक्ति का कोई वंशागत पूर्वपुरुष या वंशागत वंशज;

(5) व्यक्ति के पति या पत्नी का कोई वंशागत पूर्वपुरुष या वंशगत वंशज;

(6) उपखण्ड (2), उपखण्ड (3), उपखण्ड (4) या उपखण्ड (5) में निर्दिष्ट व्यक्ति का पति या पत्नी;

(7) उपखण्ड (2) या उपखण्ड (3) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति का वंशागत वंशज;

(ञ) **"पता लगाने"** से अभिप्रेत है संपत्ति के स्वरुप, स्त्रोत, व्ययन, संचलन, हक या स्वामित्व का अवधारण करना;

(ट) **"न्यास"** में कोई विधिक बाध्यता भी सम्मिलित हैं।

58ग. अवैध रुप से अर्जित संपत्ति के धारण्स का प्रतिषेध-- (1) इस अध्याय के प्रारंभ की तारीख से ऐसे किसी व्यक्ति के लिए, जिसे यह अध्याय लागू होता है, यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी अवैध रुप से अर्जित संपत्ति को धारण करें।

(2) जहां कोई व्यक्ति, उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में ऐसी संपत्ति धारण करेगा, वहां ऐसी संपत्ति, इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार संबद्ध राज्य सरकार को समपहृत होने के लिए दायी होगीः

परन्तु इस अध्याय के अधीन कोई संपत्ति समपहृत नहीं की जाएगी यदि ऐसी संपत्ति ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे यह अधिनियम लागू होता है, अवैध आखेट और वन्यजीव और उसके उत्पादों के व्यापार से संबंधित किसी अपराध से आरोपित होने की तारीख से छह वर्ष की अवधि के पूर्व अर्जित की जाती है।

58घ. सक्षम प्राधिकारी -- राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, मुख्य वन संरक्षक की पंक्ति से अनिम्न किसी अधिकारी को, ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के प्रवर्गों की बाबत जो राज्य सरकार निर्देश दे, इस अध्याय के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के एि प्राधिकृत कर सकेगी।

58ड. अवैध रुप से अर्जित संपत्ति की पहचान-- (1) पुलिस उप महानिरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न कोई अधिकारी जिसे यथास्थिज्ञति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा सम्यक रुप से अर्जित संपत्ति है, ऐसे व्यक्ति द्वारा अवैध रुप से अर्जित किसी संपत्ति की खेज करने और उसकी पहचान करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा।

58ज.संपत्ति के समपहरण की सूचना-- (1) यदि किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी धृत किसी संपत्ति, जिसे यह अध्याय लागू होता है, के मूल्य को ध्यान में रखते हुए, धारा 58ड के अधीन या अन्यथा अन्वेषण करने वाले किसी अधिकारी की रिपोर्ट के परिणामस्वरुप उसे उपलब्ण कराई गई किसी अन्य सूचना या सामग्री और उस व्यक्ति की आय के ज्ञात स्त्रोंतों, उपार्जन या आस्तियों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है, जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा, कि ऐसी सभी या कोई संपत्ति अवैध रुप से अर्जित की गई है तो वह उस व्यक्ति पर सूचना की तामील करेगा (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रभावित व्यक्ति कहा गया है) और उससे सूचना में विनिर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के भीतर हेतुक दर्शित करने के लिए कहेगा कि, यथास्थिति, ऐसी सभी या कोई संपत्ति, अवैध रुप से अर्जित संपत्ति घोषित और इस अध्याय के अधीन राज्य सरकार को समपहृत क्यों न कर दी जाए और कि वह अपने मामले कम समर्थन में अपनी आय, उपार्जनों या आस्तियों के स्त्रोतों इंगित करे या जिनके साधन से उसने ऐसी संपत्ति अर्जित की है और वह साक्ष्य जिस पर वह निर्भर करता है तथा अन्य सुसंगत सूचन और विशिष्टयां दे।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को दी गई सूचना में किसी संपत्ति का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस व्यक्ति के निमित्त धारित किया जाना विनिर्दिष्ट है, वहां इस सूचना की एक प्रति उस अन्य व्यक्ति पर भी तामील की जाएगी।

58झ. कतिपय दशाओं में संपत्ति का समपहरण-- (1) सक्षम प्राधिकारी, धारा 58ज के अधीन जारी की गइ कारण बताओ सूचना के स्पष्टीकरण, यदि कोई हों, और अपने समक्ष उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात था प्रभावित व्यक्ति को उसे देने के पश्चात और ऐसी दशा में जहां प्रभावित व्यक्ति, सूचना मेंे विनिर्दिष्ट कोई संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से धारित करता है, वहां ऐसे व्यक्ति को भी सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात आदेश द्वारा अना निष्कर्ष लेखबद्ध करेगा कि क्या प्रश्नगत सभी या कोई संपत्ति अवैध रुप से अर्जित संपत्ति है या नहीं ।

परन्तु यदि प्रभावित व्यक्ति और ऐसी दशा में जहां प्रभावित व्यक्ति सूचना में विनिर्दिष्ट कोई संपत्ति किसी अनय व्यक्ति के माध्यम से धारण करता हो, वहां ऐसा अन्य व्यक्ति भी, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होता या कारण बताओं सूचना में विनिर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के भीतर अपना पक्ष कथन प्रस्तुत नहीं करता है वहां सक्षम प्राधिकारी, अपने समक्ष उपलब्ध साक्ष्य के आधर पर एक पक्षीय रुप से इस उपधारा क अधीन अपना निष्कर्ष लेखबद्ध करने के लिए अग्रसर होगा ।

(2) जहां सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि कारण बताओं सूचना में निर्दिष्ट कुछ संपत्तियां अवैध रुप से अर्जित संपत्तियां हैं किन्तु विनिर्दिष्टितः ऐसी संपत्तियों की पहचान करने में समर्थ न हो, वहां सक्षम प्राधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उन संपत्तियों को विनिर्दिष्ट करे जो उसके सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार अवैध रुप से अर्जित संपत्तियां हैं और नब्बे दिन की अवधिके भीतर उपधारा (1) के अधीन तदनुसार निष्कर्ष लेखबद्ध करेगा।

(3) जहां सक्षम प्राधिकारी इस धारा के अधीन इस आशय का निष्कर्ष लेखबद्ध करता है कि कोई संपत्ति अवैध रुप से अर्जित संपत्ति है तो वह घोषित करेगा कि ऐसी संपत्ति इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी विज्जंगमनों से रहित राज्य सरकार को समपहृत हो जाएगी।

(4) यदि प्रभावित व्यक्ति यह स्थापित कर लेता है कि धारा 58ज के अधीन जारी सूचना में विनिर्दिष्ट संपत्ति अवैध रुप से अर्जित संपत्ति नहीं है और इसलिए इस अधिनियम के अधीन समपहृत किए जाने के लिए दायी नहीं है तो उक्त सूचना वपस ले ली जाएगी और संपत्ति की तुरंत निर्मुक्त कर दिया जाएगा।

(5) जहां किसी कंपनी के कोई शेयर इस अध्याय के अधीन राज्य सरकार को समपहृत हो जाते हैं वहां कंपनी, कंपनी अधिनियम,1956 (1956 का 1) या कंपनी के संगम अनुच्छेदों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार को ऐसे शेयरों के अंतरिती के रुप में तुरंत रजिस्टर रकेगी।

58ञ. सबूत का भार--इस अध्याय के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में, धारा 58ज के अधीन तामील की गई सूचना में विनिर्दिष्ट कोई संपत्ति अवैण रुप से अर्जित नहीं है, साबित करने का भार प्रभावित व्यक्ति पर होगा।

58ट. समपहरण के बदले जुर्माना-- जो सक्षम प्राधिकारी यह घोषणा करता है कि कोई संपत्ति धारा 58झ के अधीन राज्य सरकार को समपहृत हो गई है और यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें अवैध रुप से अर्जित संपत्ति के केवल एक भाग का स्त्रोत सक्षम प्राधिकारी के समाधानप्रद रुप से साबित नहीं किया गया है तो वह, प्रभावित व्यक्ति को, समपहरण के बदले, उस भाग के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माने का संदाय करने का विकल्प देते हुए, आदेश करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन जुर्माना अधिरोपित करने से पूर्व प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तयुक्त अवसर दिया जाएगा।

(3) जहां प्रभावित व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन शोध्य जुर्माने का इस निमित अनुज्ञात समय के भीतर संदाय कर देता है, वहां समख प्राधिकारी, धारा 58झ के अधीन समपहरण की घोषणा, आदेश द्वारा वापस ले लेगा और तत्पश्चात ऐसी संपत्ति निर्मुक्त हो जाएगी।

58ठ. कतिपय न्यास संपत्तियों के संबंध में प्रक्रिया-- यदि सक्षम प्राधिकारी के पास धारा 58ख के खण्ड (ख) के उपखण्ड (vi) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की दशा में, उसे उपलब्ध जानकारी और सामग्री के आधार पर, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणें से, यह विश्वास करने का कारण है कि न्यास में धृत कोई संपत्ति अवैध रुप से अर्जित संपत्ति है, तो वह यथास्थिति, न्यासकर्ता या उन आस्तियों के अभिदायकर्ता, जिनसे या जिनके साधनों से, न्यास द्वारा ऐसी संपत्ति अर्जित की गई थी और न्यासियों पर एक सूचना की तामील करेगा और सूचना में विनिर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के भीतर उनसे उस धन या अन्य आस्तियों के स्त्रोंत की व्याख्या करने के लिए कहेगा जिनसे या जिनके साधनों से, यथास्थिति, ऐसी संपत्ति अर्जित की गई थी या ऐसी संपत्ति को अर्जित करने के लिए न्यास में अभिदाय किए गए धन या अन्य आस्तियों के स्त्रोत की व्याख्या करे और तत्पश्चात ऐसी सूचना धारा 58ज के अधीन तामील की गई सूचना समझी जाएगी और इस अध्याय क अन्य भी उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

स्पष्टीकरण -- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, न्यास में धृत किसी संपत्ति के संबंध में **"अवैध रुप से अर्जित संपत्ति"** में निम्नलिखित सम्मिलित होगा --

(i) ऐसी संपत्ति जो यदि न्यासकर्ता या न्यास में ऐसी संपत्ति के अभिदायक द्वारा धारित की जाती है तो वह ऐसे न्यासकर्ता या अभिदायक के संबंध में अवैध रुप से अर्जित संपत्ति होती;

(ii) ऐसी संपत्ति जो न्यास द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अभिदाय से अर्जित की गई है जो ऐसे व्यक्ति के संबंध में अवैध रुप से अर्जित की गई है जो ऐसे व्यक्ति के संबंध में अवैध रुप से अर्जित होती है यदि ऐसे व्यक्ति ने ऐसी संपत्ति ऐसे अभिदायों से अर्जित की होती।

58भ. कतिपय अंतरणों का अकृत और शून्य होना-- धझारा 58च की उपधारा (1) के अधीन किसी ओदश के किए जाने या धारा 58ज या 58ठ के अधीन किसी सूचना के जारी किए जाने के पश्चात उक्त आदेश या सूचना में निर्दिष्ट कोई संपत्ति, किसी भी एंग से अंतरित की जाती है तो ऐसे अंतरण पर इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए ध्यान नहीं दिया जाएगा और यदि ऐसी संपत्ति तत्पश्चात धारा 58झ के अधीन राज्य सरकार को समपहृत हो जाती है तो ऐसी संपत्ति का अंतरण अकृत या शून्य समझा जाएगा।

58ढ. अपील प्राधिकरण का गठन--(1) राज्य सरकार, धारा 58च, धारा 58झ, धारा 58ट की उपधारा (1) या धारा 58ठ के अधीन किए गए आदेशें के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समपहृत संपत्ति के लिए अपील प्राधिकरण नामक एक अपील प्राधिकरण का गठन कर सकेगी जिसमें एक अध्यक्ष और उतनी संख्या में अन्य सदस्य होंगे, जो राज्य सरकार नियुक्त करना ठीक समझे, और जो राज्य सरकार के प्रधान सचिव की पंक्ति से अनिम्न अधिकारी होंगे।

(2) अपील प्राधिकरण का अध्यक्ष ऐसर व्यक्ति होगा जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या होने के लिए अर्जित है।

(3) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं।

58ण. अपीलें-- (1) सक्षम प्राधिकारी के धारा 58च, धारा 58झ, धारा 58ट की उपधारा (1) या धारा 58ठ के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस तारीख से पैंतालिस दिन के भीतर जिसको इस आदेश की उस पर तामील की जाती है, अपील प्राधिकरण को अपील कर सकेगा:

परन्तु अपील प्राधिकरण, पैंतालीस दिन की उक्त अवधि के पश्चात किन्तु पूर्वोक्त तारीख से साठ दिन के अपश्चात कोई अपील ग्रहण कर सकगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारणवश निवारित हुआ था।

(2) अपील प्राधिकरण, उपधारा (1) के अधीन कोई अपील प्राप्त होने पर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात यदि वह ऐस वांछा करे और ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह ठीक समझे, उस आदेश को जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट, उपांतरित या अपास्त कर सकेगा, जैसा वह ठीक समझे।

(3) अपील प्राधिकरण अपनी प्रक्रिया का विनियमन कर सकेगा।

(4) अपील प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण को आवेदन किए जाने पर और विहित फीस के संदाय पर किसी अपील के पखकार को या ऐसे पक्षकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत्त किसी व्यक्ति को, कार्यालय समय के दौरान किसी समय, अपील प्राधिकरण के सुसंगत अभिलेखों और रजिस्टरों का निरीक्षण करने के लिए और उसकी या उसके किसी भाग की प्रमाधित प्रति अभिप्राप्त करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

58त. सूचना या आदेश का वर्णन में त्रुटि के कारण अविधिमान्य न होना-- इस अध्याय के अधीन जारी की गई या तामी की गई सूचना, की गई घोषणा और पारित कोई आदेश, संपत्ति के वर्णन या उसमें वर्णित व्यक्ति के संबंध में किसी त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं सझा जाण्गा यदि वह संपत्ति या वयक्ति इस प्रकार वर्णित से पहचाना जा सके।

58थ. अधिकारिता का वर्जन-- इस अध्याय के अधीन पारित कोई आदेश या की गई कोई घोषणा उसमें यथा उपबंधित के सिवाय अपीलनीय नहीं होती और किसी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी मामले की बावत अधिकारिता नहीं होगी जिसके संबंध में इस अध्याय द्वारा या के अधीन अपील अधिकरण या किसी सक्षम प्राधिकारी को अवधारण करने के लिए सशक्त बनाया गया है और इस अध्याय द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्यवाही की बावत किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई व्यादेश अनुदत्त नहीं किया जाएगा।

58द. सक्षम प्राधिकारी और अपील अधिकरण के पास सिविल न्यायालय की शक्तियों का होना-- सक्षम प्रधिकारी और अपील अधिकरण के पास निम्नलिखित विषयों की बाबत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद का विचरण करते समय सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, अर्थात:-

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसक परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए ाने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना;

(ड) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

58ध. सक्षम प्राधिकारी को सूचना-- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, सक्षम प्राधिकारी को केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी अधिकारी या प्राधिकारी से ऐसे वयक्तियों, मुद्दों या विषयों के संबंध में जो सक्षम प्राधिकारी की राय में इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए लाभादायक या सुसंगत होंगे, जानकारी प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी।

(2) धारा 58न में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी, अपने पास उपलब्ध किसी जानकारी को स्वप्रेरणा से सक्षम प्राधिकारी के पास प्रस्तुत करेगा यदि अधिकारी की राय में ऐसी जानकारी इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी के लिए उपयोगी होगी।

58न. कतिपय अधिकारियों का प्रशासक, सक्षम प्राधिकारी और अपील अधिकरण की सहायता करना-- इस अध्याय के अधीन किन्ही कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित अधिकारी, धारा 58द के अधीन नियुक्त केए गए प्रशासक, सक्षम प्राधिकारी और अपील अधिकरण को यथावश्यक सहायता देगा, अर्थात:-

(क) पुलिस अधिकारी;

(ख) राज्य वन विभागों के अधिकारी;

(ग) केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरों के अधिकारी;

(घ) राजस्व आसूचना निदेशाल के अधिकारी;

(ड) ऐसे अन्य अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

58प. कब्जा लेने की शक्ति-- (1) जहां इस अध्याय के अधीन कोई संपत्ति राज्य सरकार को समपहृत की जाने वाली घोषित की गई है या जहां प्रभावित व्यक्ति, धारा 58ट की उपधारा (1) के अधीन शोध्य जुर्माने का संदाय उक्त धारा की उपधारा (3) के अधीन उसके लिए अनुज्ञात समय के भीतर करने में असफल रहता है वहां, सक्षम प्राधिकारी, प्रभावित व्यक्ति और किसी अन्य व्यक्ति को भी जिसके कब्जे में उक्त संपत्ति है, उसका कब्जा धारा 58छ के अधीन नियुक्त किए गए प्रशासक को या इस निमित उसके द्वारा सम्यकतः प्राधिकृत किसी व्यक्ति का उक्त आदेश की तामील के 30 दिन के भीतर अभ्यर्पित या परिदत्त करने का आदेश कर सकेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश का पालन करने से इंकार करता है या असफल रहता है तो प्रशासक, उक्त संपत्ति का कब्जा ले सकता न और उक्त प्रयोजन के लिए उतने बल का प्रयोग कर सकता है जो आवश्यक हो।

(3) उपधारा (2) में अंर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रशासक, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी संपत्ति का कब्जा लेने के प्रयोजनार्थ, अपनी सहायता के लिए किसी पुलिस अधिकारी की सेवाओं की उपेक्षा कर सकेगा और उस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी अपेक्षा का पालन करे।

58फ. त्रुटियों की परिशुद्धि-- अभिलेख से प्रकट किसी त्रुटि की परिशुद्धि करने की दृष्टि से, यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या अपील अधिकरण, अपने द्वारा किए गए किसी आदेश को, आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर संशोधित कर सकेगाः

परन्तु ऐसा किसी संशोधन से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है और वह लेखन की प्रकृति की त्रुटि नहीं है तो संशोधन, ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।

58ब. इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के लिए अन्य विधियों के अधीन निष्कर्ष का निर्णायक न होना-- किसी अन्य विधि के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी को कोई निष्कर्ष इस अध्याय के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए निर्णायक नहीं होगा।

58भ. सूचना और आदेशों की तामील-- इस अध्याय के अधीन जारी की गई सूचना या किए गए आदेश की तामील--

(क) उस व्यक्ति को, जिसके लिए वह आशयित है या उसके अभिकर्ता को सूचना या आदेश निविदत्त करके या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारस, भेजकर की जाएगी;

(ख) यदि सूचना या आदेश, खण्ड (क) में उपबंधित रीति से तामील न किया जा सके तो उस संपत्ति, जिसके संबंध में सूचना जारी की गई है या आदेश किया गया है, किसी

सहज दृश्य स्थान पर या उस परिसर, जो उस व्यक्ति, जिसके लिए यह आशयित है, के अन्तिम निवास के रुप में ज्ञात है या जहां उसने अपना कारबार किया है या वैयक्तिक रुप से अभिलाभ के लिए कार्य किया है, के किसी सहज दृश्य भाग में चिपका कर की जाएगी।

58म. ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए दण्ड जिसके संबंध में इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियां की गई हैं-- ऐसा कोई व्यक्ति जो जानबूझकर, किसी भी ढंग से, ऐसी कोई संपत्ति अर्जित करता है जिसके संबंध में इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियां लंबित है, ऐसी अवधि के कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से जो पचास हजार रुपए तक का हो सकता है, दंडनीय होगा।

अध्याय 7 - प्रकीर्ण

59. अधिकारियों का लोक सेवक होना-- अध्याय 2 में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी तथा अध्याय 4क (अध्याय 4ख) में निर्दिष्ट अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों में से किसी का प्रयोग करने वाला प्रत्येक अन्य अधिकारी भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोग सेवक समझा जाएगा।

60. सदभादवर्पूक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण-- (1) इस अधिनियम के अधीन सदभावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के बारे में कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध न होगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन सदभावपूर्णक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुई या संभाव्यतः होने वाले किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कर्मचारियों या उसके अधिकारियों या अन्य में से किसी के विरुद्ध न होगी।

(3) इस अधिनियम क अधीन सदभावपूर्णक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही अध्याय 4क (अध्याय 4ख) में निर्दिष्ट प्राधिकरण और उसके अध्यक्ष, सदस्यों, सदस्य-सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध नहीं होगी।

60क. व्यक्तियों का पुरस्कार-- (1) जब कोई न्यायालय जुर्माने का दंड या ऐसा दंड जिसका जुर्माना भाग रुप हो, अधिरोपित करता है तो वह न्यायालय, निर्णय देते समय, यह आदेश कर सकेगा कि ऐसे व्यक्ति को जो अपराध का पता लगाने से या अपराधियों को पकड़वाने में सहायता करता है, जुर्माने के आगमों में से, ऐसे जुर्माने से पचास प्रतिशत से अनधिक का पुरस्कार दिया जाए।

(2) जब कि सी मामले का धारा 54 के अधीन शमन किया जाता है तो शमन करने वाला अधिकारी ऐसे व्यक्ति को जो अपराध का पता लगाने या अपराधियों को पकड़वाने की सहायता करता है, शमन के रुप में स्वीकार की गई धनराशि में से, ऐसी धनराशि के पचास प्रतिशत से अधिक का पुरस्कार दिए जाने का आदेश कर सकेगा।

60ख. राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार-- राज्य सरकार, मुख्य वन्यजीव संरक्षक को, ऐसे व्यक्ति को, जो अपराध का पता लगाने में या अपराधी को पकड़वाने में सहायता करता है, विहित की जाने वाली निधि से और रीति से दस हजार रुपए से अनधिक का पुरस्कार संदत्त किए जाने का आदेश करने के लिए सशक्त कर सकती है।

61. अनुसूचियों की प्रविष्टियों में परिवर्तन करने की शक्ति-- (1) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना सीचीन है तो वह अधिसूचना द्वारा किसी अनुसूची में कोई प्रविष्ट जोड सकेगी या उसमें से हटा सकेगी या किसी अनुसूची के भाग के किसी प्रविष्टि को उसी अनुसूची के किसी अन्य भाग में या एक अनुसूची से किसी अन्य नुसूची में अन्तरित कर सकेगी।

(2) [***]

(3) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किए जाने पर सुसंगत अनुसूची को तदनुसार परिवर्तित समझा जाएगा, परन्तु प्रत्येक ऐसा परिवर्तन से पूर्व की गई या न की गई किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

62. कुछ वन्यप्राणियों को पीडकजन्तु घोषित किया जाना-- केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा अनुसूची 1 या

अनुसूची 3 के भाग 2 में विनिर्दिष्ट वन्यप्राणियों से भिन्न किसी वन्यप्राणी को, किसी क्षेत्र के लिए और ऐसी अवधि के लिए जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, पीड़क जन्तु घोषित कर सकेगी और जब तक ऐसी अधिसूचना प्रवृत्त रहती है ऐसे वन्यप्राणी के बारे में यह समझा जाएगा कि वह अनुसूची 5 में सम्मिलित कर लिया गया है।

63. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति -- (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए नियम बना सकेगी अर्थात:-

(क) वे शर्तें और अन्य बातें जिनके अधीन कोई अनुज्ञप्तिधारी धारा 17च के अधीन किसी विनिर्दिष्ट पादप को अपनी अभिरक्षा या कब्जे में रख सकेगा;

(कi) उन सदस्यों से, जो पद में सदस्य हैं, भिन्न सदस्यों क पदावधि, रिक्तियों को भरने की रीति धारा 5क की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया और धारा 5क की उपधारा (3) के अधीन उन सदस्यों के भत्ते;

(ख) धारा 38ख की उपधारा (5) के अधीन अध्यख, सदस्यों और सदस्य-सचिव के वेतन और भत्ते तथा उनकी नियुक्ति की अन्य शर्तें;

(ग) धारा 38ख की उपधारा (7) के अधीन केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें;

(घ) वह प्रारुप जिसमें केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण के लेखाओं का वार्षिक विवरण धारा 38ड की उपधारा (4) के अधीन तैयार किया जाएगा;

(ड) वह प्रारुप जिसमें और वह समय जब केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट धारा 38च के अधीन तैयार की जाएगी;

(च) वह प्रारुप जिसमें और वह समय जब केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट धारा 38च के अधीन तैयार जी जाएगी;

(छ) वे मानक मापदंड और अन्य बाते जो धारा 38च की उपधारा (4) के अधीन मान्यता प्रदान करने के लिए विचारणीय है;

(छi) धारा 38झ की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन विशेषज्ञों या वृत्तिकों की अर्हताएं और अनुभव;

(छii) धारा 38ड की उपधारा (4) के अधीन सदस्यों के वतन और भत्ते तथा नियुक्ति की अन्य शर्तें;

(छiii) धारा 38ढ की उपधारा (2) के अधीन व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें

(छiv) वह प्रारुप जिसमें धारा 38द की उपधारा (1) के अधीन व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का वार्षिक लेख विवरण तैयार किया जाएगा;

(छv) वह प्रारुप और वह समय जिसमें धारा 38घ के अधीन व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी;

(छvi) धारा 38य की उपधारा (2) के खण्ड (ii) के अधीन वन्यजी अपराध नियंत्रण ब्यूरो की अन्य शक्तियां

(ज) वह प्रारुप जिसमें धारा 44 की उपधारा (2) के अधीन घोषणा की जाएगी;

(झ) धारा 44 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) की अधीन विहित किए जाने वाले विषय;

(ञ) वे निबंधन और शर्तें जो धारा 48 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट संव्यवहारो को शासित करेंगी;

(ट) वह रीति जिसे धारा 55 के खण्ड (ग) के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा सूचना दी जा सकेगी;

(ठ) धारा 64 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट विषय, जहां तक उनका संबंध केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उपवनों से है।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हों, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों से ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व, दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करते के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रुप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्वदोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात, वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा।

64. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति-- (1) राज्य सरकार उन विषयों की बाबत जो धारा 63 के क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं है इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा बना सकती है।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपंध कर सकेंगे, अर्थात:-

(क) धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन उनसदस्यों से जो पदेन सदस्य हैं, भिन्न सदस्यों की पदावधि, रिक्ति को भरने की रीति और बोंउ द्वारा अनुसरति की जाने वाली प्रक्रिया;

(ख) धारा 6 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट भत्ते;

(ग) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किए गए, दिए गए या निवेदित आवेदन, प्रमाण पत्र, दावे, घोषणा, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र, रजिस्ट्रीकरण, विवरणी या अन्य दस्तावेज के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रारुप और उनके दिए फीस, यदि कोई हो;

(घ) वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र दिया जा सकता है;

(घघ) वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए न्यायालय में मामले फाइल करने के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत किया जाएगा;

(ड) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वन्यप्राणियों की बाबत रखे जाने वाले या भेजे जाने वाले अभिलेख की विशिष्टियां;

(डड) यह रीति जिससे पशुधन के असंक्रमणीकरण के लिए उपाय किए जाएंगे;

(च) बंदी प्राणियों, मांस, प्राणी-वस्तुओं, ट्राफियों और असंसाधित ट्राफियों के कब्जे, अन्तरण और विक्रय का विनियमन;

(छ) चर्मपूरण का विनियमन;

(छक) वह रीति और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए प्रशासक धारा 58छ की उपधारा (2) के अधीन संपत्ति को प्राप्त करेगा और उसका प्रबंध करेगा;

(छख) धारा 58ढ की उपधारा (3) के अन्तर्गत अध्यक्ष और वन्य सदस्यों की सेवा शर्तें और अवधि;

(छग) वह निधि जिसमें से और वह रीति जिससे धारा 60ख के अधीन इनाम का संदाय किया जाएगा;

(ज) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाना है या विहित किया जा सकता है।

****65. अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों का संरक्षण--** इस अधिनियम की कोई बात अंडमान और निकोबार गजट तारी 28 अप्रैल, 1967 के असाधारण अंक के पृष्ठ 1 से 5 में प्रकाशित अंडमान और निकोबार शासन की अधिसूचना सं. 40/67/एफ नं.जी. 635, खण्ड III, तारीख 28 अप्रैल, 1967 द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र में निकोबार द्वीपो की अनुसूचित जनजातियों को आखेट संबंधी प्रदत्त अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।

66. निरसन और व्यावृत्तियां-- (1) इस अधिनियम के प्रारंभ से ही इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी विषय से संबद्ध प्रत्येक अन्य अधिनियम जो किसी राज्य में प्रवृत्त है वहां तक जहां तक की वह अधिनियम या उसका कोई उपबंध का तत्स्थायी या उसके विरुद्ध है, निरसित हो जाएगा:

परन्तु ऐसा निरसन--

(i) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियम के पूर्व-प्रवर्तन पर अथवा इसके अधीन सम्यक रुप से की गई या सहन की गई किसी बात पर प्रभाव नहीं डालेगा;

(ii) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं डलेगा;

(iii) इस प्रकार निरसित अधिनियम के विरुद्ध किए गए किसी अपराध की बावत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड पर प्रभाव नहीं डालेगा; अथवा

(iv) यथा पूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकारी, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति समपहरण या दण्ड के बारे में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर प्रभाव नहीं डालेगा, तथा ऐसी कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार ऐसे

संसिथत किया जा सकेगा, चालू रखा जा सकेगा या प्रवर्तित किया जा सकेगा, और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण और दंड ऐसे अधिरोपित किया जासकेगा, मानो पूर्वोक्त अधिनियम निरसित नहीं किया गया है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी--

(क) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन की गई बात या कार्यवाही जिसके अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना, आदेश, प्रमाण पत्र, सूचना, रसीद किया गया आवेदन या दी गई अनुज्ञा भी है, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन वैसे ही की गई समझी जाएगी, मानो यह अधिनियम उस समय प्रवृत्त था जब ऐसी बा या कार्यवाही की गई थी, तब वह जब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि वह इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या कार्यवाही द्वारा अतिष्ठित नहीं कर दी जाती ;

(ख) इस प्रकार निरसित तथा इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रवृत्त किसी अधिनियम के अधीन दी गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दी गई समझी जाएगी तथा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उस अवधि के अनवसित भाग के लिए जिसके लिए अनुज्ञप्ति दी गई थी, प्रवृत्त बनी रहेगी।

(3) शंकाओं को दूर करने के लिए इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उपधारा (1) के अधीन निरसित किसी अधिनियम के अधीन किसी राज्य सरकार द्वारा घोषित किसी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उपवन की बाबत यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा घोषित, यथास्थिति, अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उपवन हैं, तथा जहां किसी ऐसे राष्ट्रीय उपवन में किसी भूमि में या उस पर कोई अधिकार इस अधिनियम के प्रारंभ पर या उसके पूर्व उक्त अधिनियम के अधीन निर्वापित नहीं हुआ था वहां ऐसे अधिकारों का निर्वापन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(4) शंकाओं के निवारण के लिए यह और घोषित किया जाता है कि जहां वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 1991 के प्रारंभ की तारीख को धारा 19 से धारा 25 के (जिसमें ये दोनों धाराएं भी सम्मिलित है) किसी उपबंध के अधीन कोई कार्यवाही लंबित है, वहां ऐसे प्रारंभ की तारीख से पूर्व अभ्यारण्य के रुप में धारा 18 के अधीन घोषित किसी अभ्यारण्य के भीतर समाविष्ट किसी आरक्षित वन या राज्य क्षेत्रीय सागरखण्ड के बारे में यह समझा जाएगा कि वह धारा 26क के अधीन घोषित अभ्यारण्य है ।

-----00----